सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 26 फरवरी, 2026 ई॰
द्वितीय सत्र — 07 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय– 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे । माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार मंडल ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–98, श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र सं0–82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक ।

पैक्स एवं वेजफेड समिति की सदस्यता प्राप्त करने हेतु सहकारिता विभाग अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सदस्य बन सकते है।

2– आंशिक स्वीकारात्मक ।

प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों के समरूप सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभ की गयी थी। डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक–648, दिनांक–10.04.2022 के द्वारा परम्परागत मछुआरों की सूची उपलब्ध होने तक ऑनलाइन सदस्यता अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ जिसके आलोक में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–2584, दिनांक–10.04.2022 द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है ।

3–उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : राजेश जी उत्तर मिला है ?

श्री राजेश कुमार मंडल : जी महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार मंडल : जी, सप्लीमेंट्री है । अध्यक्ष जी, हम बताना चाहेंगे कि बिहार में पैक्स एवं वेजफेड समिति और डेयरी, पशु संसाधन....

श्री रणविजय साहू : महोदय, कार्यस्थगन दिया हुआ है ?

अध्यक्ष : शून्यकाल में लिया जाएगा । बैठ जाइये ।

श्री राजेश कुमार मंडल : इन लोगों का जो है ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने का प्रावधान है । जिससे बड़ी सुगमता से सदस्य बनकर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । लेकिन बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसे ग्रामीण भाषा में मछुआ सोसाइटी कहते हैं, का ऑनलाइन सदस्य बनने का प्रावधान नहीं है । जिससे मल्लाह जाति के लोगों को सदस्य बनने में बहुत धांधली होती है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री राजेश कुमार मंडल : जी, एक मिनट में पूछते हैं । महोदय, राज्य के गरीब मछुआरा प्रखंड में निबंधित मत्स्यजीवी समिति का सदस्य बनकर सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही बहुउद्देशीय लाभ प्राप्त करना अपना जीना चाहते हैं । परंतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री, जिनका आधिपत्य समिति पर है, के द्वारा सदस्य नहीं बनाया जाता है। मल्लाह जाति...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं । माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए । आपका जो प्रश्न है कि वेजफेड, पैक्स के तरह मत्स्यजीवी समिति में मेंबर बने ऑनलाइन, यही विषय है ?

श्री राजेश कुमार मंडल : जी ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पहले हम लोग मत्स्यजीवी समाज के लोगों का भी ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान रखे थे । लेकिन डेयरी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पत्रांक–448, दिनांक 10.04.2022 के द्वारा परंपरागत मछुआरों की सूची उपलब्ध होने तक ऑनलाइन सदस्यता अभियान को अस्थाई रूप से स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ । जिसके आलोक में निबंधन सहयोग समिति बिहार, पटना के पत्रांक–2584, दिनांक 10.04.2022 द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है ।

हम करते थे, लेकिन पशुपालन विभाग की ओर से आया कि जब तक परंपरागत मछुआरों का कोई डाटा नहीं होगा, तब तक इसको आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अन्य लोग भी आ रहे थे और उनका कहना था कि इसमें उसी वर्ग के लोग आयें । इसलिए जब वह सूची हमको प्राप्त हो जाएगी विभाग को, तब हम ऑनलाइन सदस्यता करेंगे । लेकिन अभी भी सदस्यता वह बना सकते हैं । जो मछुआरा सहयोग समिति है, वह ऑफलाइन जो भी जिनको चाहेंगे वह सदस्य बना सकते हैं । जो आवेदन देंगे वह सदस्य बन जाएंगे ।

अध्यक्ष : सदस्य बनना जारी है, दिक्कत नहीं है । भविष्य में ऑनलाइन भी होगा । बताइए ।

श्री राजेश कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, हम यह बताना चाहते हैं सदस्यता ऑनलाइन नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए, आग्रह कर लीजिए ।

श्री राजेश कुमार मंडल : ऑफलाइन सदस्यता बनाने के लिए जो है, वहां समिति के साथ–साथ कोर्ट तक जाना पड़ता है । उसका भी जो है आदेश नहीं मिलता है और आपको एक बात बता दें, कुछ इस समाज के जो लोग हैं उनका मछली उत्पादन पोखर से ताल्लुकात है । पोखर में, नदी में जहां मछली उत्पादन होता है, सांप, कीड़ा रहता है । महोदय, वहां जाते हैं वैसे लोग जो गरीब, गुरबा, शोषित हैं ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है अभी ऑफलाइन हो रहा है ।

श्री राजेश कुमार मंडल : लेकिन समिति पर सर कुछ दबंगों का कब्जा होता है । जिससे मल्लाह समाज को जो है के बहुसंख्यक लोग लाभान्वित नहीं हो पाते । हम आग्रह करेंगे सदन से कि ऑनलाइन सदस्य बनाने का प्रावधान होना चाहिए । ताकि सभी को न्याय मिले ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । इसीलिए माननीय मंत्री ने कहा है परंपरागत जो मछुआरा भाई हमारे हैं उनको अधिकार मिलने को लेकर के संचिका मत्स्य विभाग में गयी है। वहां से आने के बाद सरकार निश्चित तौर पर सुझावों पर विचार करेगी ।

श्री राजेश कुमार मंडल : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है । महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत ही माकूल सवाल को उठाया है । आम तौर पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो है, उस पर दबंगों का कब्जा है । पिछले चुनाव में उनको जिन्होंने वोट नहीं दिया, उसको उन्होंने वोटर लिस्ट से बाहर किया या फिर जो नए सदस्य बनना चाहते हैं उनको वह नहीं बनाते हैं । इसका पूरा एविडेंस और उसका पूरा तथ्य है । सर, आप जब मंत्री थे, तब आपसे मैं मिला था और आपसे जब मैं मिला था, उसके बाद कोर्ट भी गया । कोर्ट का भी आदेश निकला । लेकिन उसको भी लागू नहीं कर रहा है। अब किस पेचीदगी में फंसाता है कोर्ट के आदेश को कि हम ये नहीं करेंगे? बी0सी0ओ0 बोलता है कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है । डी0सी0ओ0 बोलता है कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और जो रजिस्ट्रार है वह भी इसको लागू नहीं कर पाता है । आखिर इसके लिए एक ठोस नियमन आना चाहिए । किसी को भी मेंबर बनने से कोई कैसे रोक सकता है ? इसलिए इस पर ठोस नियमन आना चाहिए ।

अध्यक्ष : इन्हीं खामियों को और त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार ने पहल की है कि भविष्य में जो आप सबों का सुझाव आ रहा है वैसा न हो । परंपरागत जो मतलब मछुआरे हैं उनको अधिकार मिलेगा, इसके लिए माननीय मंत्री प्रयास कर रहे हैं ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–99, श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र सं0–102, कुचायकोट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : 1– उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सिपाया कृषि फर्म के पास मत्स्य प्रभाग का 20.23 एकड़ जलकर है, जो समिति के साथ बंदोबस्त हैं।

2 एवं 3–उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा मछुआरों/मत्स्यपालकों के कौशल विकास एवं आधुनिक मत्स्यपालन तकनीकों के प्रसार के उद्देश्य से राज्य के बाहर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई0सी0ए0आर0) के मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में एवं राज्य के अंदर दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना, विभागीय मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढ़ोली तथा किशनगंज में मत्स्य प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते हैं। जहाँ पर प्रश्नगत जिला सहित अन्य जिलों के मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। मत्स्य बीज की उपलब्धता के लिए विभागीय योजना से निजी क्षेत्र में कई मत्स्य बीज उत्पादन (हैचरी) केन्द्र संचालित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत गोपालगंज, सारण, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत क्रमशः 754, 826, 731 एवं 694 अर्थात 3005 मछुआरों/मत्स्यपालकों को प्रशिक्षित कराया जा चुका हैं। राज्य सरकार मछुआरों/मत्स्यपालकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं, तथा यह योजना आगे भी संचालित रहेंगी ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है पाण्डेय जी ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है लेकिन मैं उससे संतोषजनक नहीं हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है आग्रह कर लीजिए सरकार से । आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कृषि फार्म के पास 20 एकड़ जमीन है सिपाया में, तो गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चम्पारण के लोगों को प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरपुर के फिशरी कॉलेज, ढोली जाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, सिपाया कृषि के समीप एक प्रशिक्षण केंद्र और मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र बन जाता है तो कम से कम 5 जिलों के मत्स्य पालक भाइयों के प्रशिक्षण और बीज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड–1 का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सिपाया कृषि फर्म के पास मत्स्य प्रभाग का 20 डिसमील 23 एकड़ जलकर है, जो समिति के साथ बंदोबस्त हैं ।

खंड–2 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा मछुआरों/मत्स्यपालकों के कौशल विकास एवं आधुनिक मत्स्यपालन तकनीकों के प्रसार के उद्देश्य से राज्य के बाहर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई0सी0ए0आर0) के मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में एवं राज्य के अंदर दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना, विभागीय मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढ़ोली तथा किशनगंज में मत्स्य प्रशिक्षण आयोजित कराये जाते हैं । जहाँ पर प्रश्नगत्त जिला सहित अन्य जिलों के मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है । मत्स्य बीज की उपलब्धता के लिए विभागीय योजना से निजी क्षेत्र में कई मत्स्य बीज उत्पादन (हैचरी) केन्द्र संचालित है । वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अंदर एवं राज्य से बाहर इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत गोपालगंज, सारण, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत क्रमशः 754, 826, 731 एवं 694 अर्थात 3005 मछुआरों/मत्स्यपालकों को प्रशिक्षित कराया जा चुका हैं । राज्य सरकार मछुआरों/मत्स्यपालकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं, तथा यह योजना आगे भी संचालित रहेंगी ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ । मुझे यह कहना है कि लगभग पांच जिलों के जो मछुआरे भाई हैं, अगर सिपाया में 20 एकड़ जमीन है, जमीन तो काफी है, अगर वहां प्रशिक्षण केंद्र बन जाता है तो पांच जिलों के मछुआरों को, भाई लोगों को वहां काफी सुविधा मिलेगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि आप वहां प्रशिक्षण केंद्र बनाने की कृपा प्रदान करें ।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिए । माननीय मंत्री जी, एक बार समीक्षा कर लीजिए । समीक्षा कर लीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : हां, जोड़ लीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, 73 किलोमीटर का जलकर है पूरा गोपालगंज में । सोनपुर से 153 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा तक यह पूरा गंडक का इलाका है । उसमें 80 किलोमीटर छपरा जिला में है और रेस्ट गोपालगंज में है। सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन गोपालगंज और चम्पारण में होता है । महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, सबसे ज्यादा जमीन भी सिपाया में है । इसीलिए अगर वहां पर यह खुल जाता है तो हमारे यहां या

पूरा उस बेल्ट के लगभग 8–10 जिलों के किसानों को सुविधा भी होगी । साथ में अध्यक्ष महोदय, उसको आपदा प्रबंधन से भी जोड़ना चाहिए । सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा रहता है । जो किसान हमारे इसमें आकर प्रशिक्षित होंगे, उनको साथ–साथ आपदा प्रबंधन की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है ।

अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्यों के सुझाव को देखते हुए सरकार समीक्षा करेगी । समीक्षा उपरांत निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं का ख्याल रखेगी कि मछुआरों का हित हो, उनको दूर नहीं जाना पड़े, ऐसा सरकार करेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–100, श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र सं0–115, बनियापुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–101, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को विभागीय पत्रांक–3118 दिनांक–08.10.2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष :पूछ लीजिए ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि राज्य के सभी शहर, निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को विभागीय पत्रांक–3118, दिनांक 08.10.2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया है । महोदय, माननीय मंत्री ने 2021 का उल्लेख किया है और अब तक यह मियावाकी 2021 से 2026 तक नहीं बन पाई । अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सात शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए और ग्रीन कवर बिहार राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में राष्ट्रीय मानक से कम है । महोदय, जो बिहार के लिए चिंताजनक है ।

(क्रमशः)

टर्न–2 / हेमन्त / 26.02.2026

(क्रमशः)

श्री मंजीत कुमार सिंह : बिहार में शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर के लिए लगभग 7.7 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। जबकि मानक के अनुसार 9 से 11 वर्ग मीटर होना चाहिए। महोदय, जो पटना में ओपन ग्रीन स्पेस है, मात्र 2.4 वर्ग मीटर है। जबकि दिल्ली में 41 स्क्वायर मीटर, बंगलुरु में 12 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र वर्ग मीटर है। तो सरकार से हम जानना चाहते हैं कि पटना

सहित सभी शहरों में पर्यावरण की दृष्टि से एवं वायु प्रदूषण कम करने के लिए ओपन ग्रीन स्पेस बढ़ाने की क्या योजना है और 2021 में सरकार ने जब निर्देश बनाने के लिए दिया तो 2026 तक लंबित क्यों है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि जवाब में स्पष्ट है कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8–10–2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। महोदय, इनको पूरी जानकारी है कि आज इस पद्धति से कम खर्च में पौधे को लगभग 10 गुना तेजी से उगाया जा सकता है। वृक्ष अतिशीघ्र घने हो जाते हैं, 3 वर्ष इनकी देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है और यह पद्धति सभी जगह लागू करने का निर्देश जा चुका है, काम भी कई जगह शुरू हुआ है और इसका लाभ भी अब दिखाई पड़ रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में 2021 की चर्चा की है। अब तक इसका अनुपालन कोई नगर निगम, नगर निकायों ने नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, और मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि मियावाकी तकनीकी एक जापानी विधि है, जिसके द्वारा सीमित, अल्प अवधि में वन विकसित करने के लिए, पर्यावरण संकट को इससे दूर किया जा सकता है तो इसको पूर्ण रूप से लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है और सीएसआर के तहत भी फंड आते हैं, हुजूर। इसके तहत भी हर जगह वन, पर्यावरण की दृष्टि से बिहार में हरियाली लाई जा सकती है, महोदय। तो इस संबंध में सरकार को स्पष्ट सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि इस विधि को अपनाते हुए राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में कम से कम चार स्थलों पर, नगर परिषद् क्षेत्रों में कम से कम दो स्थलों पर, तथा नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक स्थल पर समुचित आकार की उपयुक्त भूमि का चयन करते हुए वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी इनको किसी खास शहर की है, यह बताएंगे, हम बता देंगे कि कहां–कहां क्या प्रगति हुई है।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने तो पूरे बिहार का सवाल उठाया है। मंत्री ही बता दें कि अब तक कितने जगहों पर इसको विकसित किया गया है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने तो कहा कि सारी डिटेल लेकर इनको उपलब्ध करा देंगे।

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, एक आदेश दे दिया जाए। कम से कम नगर निगम या नगर परिषद् या नगर पंचायत, सोया हुआ है, वह कम से कम जग कर इस

तरह से काम तो कराएं। हरियाली का काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत पहले से ही कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार देख लीजिए।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां जमीन है उसके संबंध में...

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ठीक कहे, जमीन की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री जी का यह मिशन जल जीवन हरियाली के तहत रहा और आज भी गंगा पथ जैसी जगह पर जहां–जहां बना, इस तरह के वातावरण को, हम लोग इस विधि को अपना रहे हैं और आगे भी इसको और बेहतर हम लोग करेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–102, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या–87, जाले)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–100 में पूर्व से ही स्पष्ट प्रावधान है :–

''किसी अन्य कानून में तत्समय लागू बातों के रहते हुए भी निम्नांकित श्रेणियों की चल–अचल सम्पत्तियाँ, जो किसी सरकारी विभाग या कानूनी निकाय (जिला परिषद् या निगम को छोड़कर) के नहीं हैं, नगरपालिका में निहित होंगी।''

उक्त नियम के आलोक में नगर निकाय के अधिष्ठापन के साथ ही इसके क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अवस्थित जल–सैरात (तालाब/पोखर) एवं सार्वजनिक हाट/बाजार स्वतः नगर निकाय में शामिल हो जाते हैं। तथापि कुछ नगर निकायों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभी भी कई जल–सैरात (तालाब/पोखर) एवं सार्वजनिक हाट/बाजार विभिन्न विभागों के अधीन विद्यमान हैं।

विभागीय पत्रांक–500 दिनांक–10.02.2026 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को जल–सैरात (तालाब/पोखर) एवं सार्वजनिक हाट/बाजार जो विभिन्न विभागों (राजस्व विभाग, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग एवं अन्य) के अधीन विद्यमान हैं, को हस्तानांतरित करने हेतु निदेशित किया गया है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है।

श्री जिवेश कुमार : जी अध्यक्ष महोदय। मेरे पत्र के बाद विभाग से एक चिट्ठी गई है, पत्रांक 500, दिनांक 10.02.26 को। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल नगर विकास आवास से नहीं था। मैंने इसको मंत्रिमंडल सचिवालय में डाला था और यह नगर विकास में आ गया। यह प्रश्न नगर विकास से नहीं है, यह प्रश्न नगर विकास के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है कि नगर विकास का जो विभागीय संकल्प है, 2007 का जो अधिनियम है, नगरपालिका

अधिनियम 2007। उसकी धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही हम किसी क्षेत्र को नगरपालिका या नगर निगम घोषित करते हैं, नगर पंचायत घोषित करते हैं, तो उसके अंदर के इनकम सैरात, इनकम पोखरा, तालाब, सब नगर निगम का, नगर इकाई का हो जाएगा। यह धारा 100 कहती है और इसके अनुपालन में कई बार, इवन कि जैसे कम समय में 2700 मुख्यमंत्री समग्र योजना को जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 महीना में इस विभाग ने उतारा। 2700 योजना कोई मामूली काम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, 2 साल का।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री जिवेश कुमार : लेकिन कई योजना, पूरक पर आ रहा हूं महोदय, कई योजना आज इसलिए अटकी हुई हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार, संयोग से मंत्री दोनों विभाग के अभी यही हैं, अभी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए एन.ओ.सी. नहीं देता है कि यह मेरा है, सैरात मेरा है, यह जगह मेरा है, हम उस को नगर विकास आवास से डेवेलप नहीं कर सकते हैं। दूसरा विषय है कि जितने मुख्यमंत्री जी का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जल जीवन हरियाली। साहब, नगर के अंदर जल जीवन हरियाली में जब हम योजना ला रहे हैं, काम ला रहे हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं, पानी का वहां पर ठहराव हो और इसकी व्यवस्था जब करने जा रहे हैं, तो मछुआ सोसाइटी की आपत्ति आती है कि तालाब मेरा है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री महोदय को कि नगरपालिका का जो अधिनियम 2007 है, उसकी धारा 100 में जो बात लिखी गई है, उसका कब तक इंप्लीमेंट करा लेंगे ? समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और इनका जो दूसरा विभाग है, भूमि सुधार, वह कब तक इसमें कोऑपरेट करेगा नगर विकास आवास को, यह भी स्पष्ट कर दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज की प्रक्रिया, दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 6 के अंतर्गत की जाती है। सर्वप्रथम यह अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालय में किया जाता है। महोदय, इसकी अपील डीसीएलआर के न्यायालय में होती है, इसका रिविजन एडीम करते हैं। महोदय, कई जगह इस तरह के लोग आवेदन भी दिए हैं, अपील भी किए हैं और ये संज्ञान में आया है, महोदय। इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। महोदय, अभी तो काम तेजी से बढ़ा था। तो कभी अंचलाधिकारी चले गए थे हड़ताल पर, अभी कर्मचारी चले गए, सब नॉर्मल हो जाएगा, धीरे–धीरे, महोदय। हम लोग सबको विधिवत नियम संगत बनाएंगे, महोदय।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित विषय है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि यह नियम सम्मत बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं पूरे सदन में।

लेकिन एक विषय और इसी से संबंधित है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। यह मामला रेवेन्यू का है। नगर इकाई का रेवेन्यू आज इससे मारा जा रहा है। अगर आप नगर के अंदर का तालाब का सैरात नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, अगर उसके अंदर का बाजार नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, तो नगर किस काम का है ? महोदय, दूसरी तरफ, सरकार ने 20–21 में नए नगर इकाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, 6 प्रतिशत बिहार की शहरी आबादी बढ़ी, 11 से 16–17 प्रतिशत हो गया।

अध्यक्ष : सरकार ने सहमति जतायी है।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके यहां से भी संबंधित विषय है। महोदय, जब यह बढ़ा, नए नगर इकाई की अधिसूचना जब जारी हो गई, तो अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा ? जब आप चुनाव करा रहे हैं एक साल बाद, चुनाव करा रहे हैं डेढ़ साल बाद, जन प्रतिनिधि डेढ़ साल बाद चुनकर वहां आ रहा है।

अध्यक्ष : सरकार सारी बातों की समीक्षा कर लेगी। समीक्षा करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले लीजिएगा।

अध्यक्ष : आपकी राय से सरकार सहमत है।

श्री जिवेश कुमार : सरकार को चाहिए कि नए नगर इकाई में तीन साल का उसको रिबेट देना चाहिए। जनता के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लगाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री रहे हैं। इनको बहुत अनुभव है महोदय। गंभीरता से सच्चाई यह है कि अभी जिला परिषद्, नगर परिषद्, नगर निगम या नगर पंचायत, कई झंझट फंसा हुआ है, महोदय। एक दूसरे पर कई दावेदारी भी ठोकी जा रही है, खास कर दुकान की जमीन पर। महोदय, कई विवाद ऐसे हैं, उस विवाद का समाधान कोई त्वरित गति से, मंत्री स्तर पर बैठ कर निष्पादित त्वरित कर दे, यह राजस्व न्यायालय से जुड़ा विषय है और इसको नियम के तहत देखते हुए प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई भी कमी रहेगी, फिर सक्षम न्यायालय में जाकर मामला लटका देगा और उसका गलत लाभ गलत लोग उठाते रहेंगे। इसलिए किसी विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष : अब हो गया। सारी बातें आ गयी हैं।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, अंतिम है।

अध्यक्ष : समय नहीं है। अभी और भी मेम्बर्स का क्वेश्चन है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है। महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष : जल्दी कीजिए।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन से टैक्स, यह तो मंत्री जी कह ही सकते हैं न

अध्यक्ष : यह तो बात आ गयी।

श्री जिवेश कुमार : कि चुनाव से टैक्स, नोटिफिकेशन से क्या टैक्स लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह।

टर्न–3 / संगीता / 26.02.2026

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–103, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या–16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि ऑनलाइन दाखिल–खारिज प्रक्रिया में टेम्प नम्बर की व्यवस्था विभागीय सॉफ्टवेयर में माह–अगस्त, 2024 से लागू है एवं अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार टेम्प नम्बर अंचल स्तर पर लंबित आवेदनों की कुल संख्या–1,67,724 मात्र है, जो औसतन 4,413 प्रति जिला एवं औसतन प्रति अंचल 312 है।

विभागीय पत्रांक–2276(9), दिनांक–1 4.08.2024 द्वारा ऑनलाइन दाखिल–खारिज आवेदन में त्रुटि जाँच (Defect Check) प्रक्रिया को पूरे राज्य में लागू किया गया है। दाखिल–खारिज आवेदन में अंकित तथ्यों के सही होने तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने की स्थिति में आवेदक को कम्प्यूटर जेनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होता है। दाखिल–खारिज एक सतत् प्रक्रिया है। इसका नियमित रूप से विभाग स्तर पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, जवाब प्राप्त है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बात बढ़ गई । आ गया है, ये विषय सुनील बाबू आ गया है । आ गया है, प्लीज बैठ जाइए, आपकी बात आ गई है, 3 साल वाला ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बहुत–बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके विभाग को भी कि मेरे सवाल करने के बाद बहुत सारे दाखिल–खारिज के मामले को सलटा दिया गया है । महोदय, मेरा दाखिल–खारिज से संबंधित मामला है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चाहता

हूं, मैंने सवाल किया था कि टेम्प नंबर, एक टेम्पररी नंबर दिया जाता है दाखिल–खारिज करने के लिए और वह जब डिफेक्ट दूर हो जाता है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, बाद में बदल दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब ऑनलाइन दाखिल–खारिज प्रक्रिया में टेम्प नंबर में अंकित तथ्यों को सही होने तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने की स्थिति में ही कंप्यूटर जेनरेटेड वार्ड संख्या प्राप्त होता है तो फिर कंप्यूटर जेनरेटेड वार्ड संख्या प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा किस आधार पर स्वयं आपत्ति दर्ज करके मामले को लटकाया जाता है...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं पूछ लेता हूं एक ही बार ।

अध्यक्ष : ज्यादा लंबा नहीं कीजिए, संक्षेप में पूरक पूछना चाहिए और भी मेंबर्स के सवाल हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : दूसरा पूरक है कि पूरे राज्य में ऐसे कितने कंप्यूटराइज्ड वाद हैं जिनका अभी तक दाखिल–खारिज नहीं किया गया है ? मेरा मूल है कि जब डिफेक्ट दूर करके ही दाखिल–खारिज का वाद क्लियर किया जाता है, दाखिल–खारिज के बाद में डाला जाता है...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : एक मिनट महोदय, क्या अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने से उस मामले को लटका कर रखे, क्या उसको अधिकार है इस मामले में ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, बहुत गंभीरता से हमलोग लिए । यह सच है कि आज 40 लाख, पूरे बिहार के अंदर 40 लाख परिमार्जन का मामला मेरे यहां लंबित है और 6 लाख दाखिल–खारिज या उससे और ज्यादा गंभीर मामला लटका हुआ है । बड़ी सक्रियता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमलोग इसको शुरू किए हैं, कई बाधाएं आ रही हैं, हमलोग समाधान करेंगे और इन्होंने जो कहा कि अंचलाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो, हमने जनकल्याण संवाद में बैठकर यही हम और प्रधान सचिव महोदय, बैठकर स्पष्ट निर्देशित कर रहे हैं ओपेन, कि एक ही नेचर का एक ही शिकायत पर आप अलग–अलग निर्णय नहीं दे सकते हैं ताकि कोई गड़बड़ी करके इसका अपने मनोनुकूल लाभ नहीं उठा सके, यह हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : श्री बैद्यनाथ प्रसाद ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, महोदय अभी तक...

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट जवाब हो गया, बैठ जाइए और मेंबर्स का भी सवाल है । श्री बैद्यनाथ प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–104, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या–23, रीगा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 2095 दिनांक 22.07.2025 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से नए निकाय का गठन एवं पुराने नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक 3392 दिनांक 09.12.2025 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामाढ़ी द्वारा रीगा प्रखंड मुख्यालय को नगर परिषद का दर्जा प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है।

सम्प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 514 (4) दिनांक 28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना–2027 के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखण्डों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12. 2025 के पश्चात से भारत की जनगणना–2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना निषिद्ध है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जनगणना काम के चलते परिवर्तन में मनाही है परन्तु प्रक्रिया करने में तो कोई मनाही नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, चूंकि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की वजह से राज्य में शहरीकरण का औसत, राष्ट्रीय औसत के तरफ बढ़ रहा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबित जितने भी मामले हैं, उसकी प्रक्रिया को करने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष : बैठिए आप । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत की जनगणना, 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना निश्चित है और सारे लोग अब उस प्रक्रिया में लग गए । राजस्व भूमि सुधार विभाग ही नोडल बना है, अब हम जब सारे लोगों को उस ओर लगा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी है, जैसे चुनाव में सब लोग लगते हैं तो दूसरी प्रक्रिया प्राथमिकता में नहीं रह करके प्राथमिकता में चुनाव हो जाता है, वैसे ही जनगणना हमारी प्राथमिकता में हो गई है इसलिए माननीय मंत्री जी अलग से बता देंगे, हमलोग उसको देखेंगे कि क्या–क्या संभावना बन सकती है ।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा अल्पसूचित...

अध्यक्ष : चला जाएगा, समिति को चला जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2484, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या–212, डिहरी)

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत अकोढ़ीगोला प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 13 अदद चापाकल खराब पाए गये थे जिसमें से सभी 13 अदद चापाकलों को मरम्मति कराकर चालू करा दिया गया है।

डिहरी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 20 अदद चापाकल खराब पाए गए थे, जिसके आलोक में 15 अदद चापाकलों को मरम्मति कराकर चालू करा दिया गया है। शेष 5 अदद चापाकल डिफंक्ट पाया गया, जो मरम्मति योग्य नहीं है। विभाग द्वारा नये चापाकल अधिष्ठापन संबंधी लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इन शेष 05 स्थलों पर दो माह के भीतर चापाकल अधिष्ठापन का कार्य करा दिया जायेगा।

डेहरी नगर परिषद स्थित स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जलापूर्ति एवं मरम्मति संबंधी कार्य नगर परिषद द्वारा किया जाता है।

तदालोक में आंशिक उत्तर सामग्री हेतु विभागीय पत्रांक–294 दिनांक–25.02.26 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के संबंध में है ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : जी सर । रोहतास जिला में अकोढ़ीगोला प्रखंड में जांच के बाद पाया गया कि 13 चापाकल खराब थे और सभी 13 चापाकल का मरम्मति का काम करा दिया गया है । डेहरी में कुल 20 चापाकल खराब पाए गए थे, 20 में 15 का मरम्मति करा दिया गया है, 5 मरम्मति के लायक नहीं हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा दो महीने के भीतर ।

अध्यक्ष : श्री आई0पी0गुप्ता ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की यह योजना है और निरंतर वहां कोई अधिकारी हमलोगों के बुलाने पर भी नहीं आता है और यह निरंतर खराब है यहां तक कि मेरे खुद के पंचायत में सारा विडियो फुटेज कहिए तो मैं अभी दिखा दूं, पूरा

फेल है और वह चापाकल और पानी का टंकी भी नहीं है और जितने भी स्कूल हैं, आंगनाबाड़ी केंद्र हैं...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । एक बार माननीय सदस्य को बुला कर चैंबर में समीक्षा कर लीजिए, अधिकारियों को बुला करके ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : और फोन भी रिसिव नहीं करता है लोग, जो उनके एक्सक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो उनके वरीय पदाधिकारी हैं, फोन पर मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो मीटिंग अटैंड भी नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी बैठक बुला लेते हैं, बैठक बुला करके आपको साथ में रख लेंगे । मंत्री जी, समीक्षा करके समाधान करा दीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2485, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक।

सहरसा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं०–17, 20, 21, 34, 37, 39, 40 एवं 41 में नालों का आउटलेट नहीं होने के कारण, बरसात के दिनों में जल–जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। नगर निगम, सहरसा द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पंप मोटर लगाकर जल निकासी की जाती है। उक्त समस्या के स्थायी निदान हेतु स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना फेज–02 के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य हेतु बुडको मुख्यालय, पटना के स्तर से निविदा प्रक्रियाधीन है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार से पूछा था कि सहरसा नगर निगम के वार्ड नंबर–17,20,21,34,23,39,40,41 में सालों भर पानी रहता है । जवाब मिला है सरकार का, उन्होंने कहा है कि आउटलेट नहीं है बरसात के दिनों में रहता है और अल्टरनेटिव पम्प से पानी निकालते हैं । मुझे मालूम है ये जवाब सहरसा वालों ने बनाकर भेजा है । सर, इसमें 2–3 पूरक हैं मेरे । सर, सहरसा में हर रोज 01 करोड़ 87 लाख 84 हजार 700 लीटर पानी का डिस्चार्ज होता है, वेस्ट वॉटर और यह भी जवाब दिया गया है कि यह सेकेंड फेज तक डी0पी0आर0 ड्रेनेज सिस्टम वॉटर सरकार ने सैंक्शन किया है, जो फर्स्ट फेज का हुआ है सर । स्थापना काल से लेकर फर्स्ट फेज का डी0पी0आर0 और अपने संसाधन से जो नाले बने हैं, वे टोटल बना है 13 किलोमीटर रोड के किनारे, साढ़े 7 किलोमीटर ओपन पक्का है और 2.5 का...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं पूछ रहा हूं सर, और ये टोटल मिलाकर टोटल वनली 5.5 परसेंट कवर हुआ है । ये जो सेकेंड फेज में हमको मालूम है कि यह 25

परसेंट भी नहीं आएगा, पूरक नंबर वन, सर, बाकी का क्या होगा ? 25 परसेंट भी नहीं होगा...

अध्यक्ष : बैठिए गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, सर आज हम पगड़ी भी नहीं लगा कर आए हैं, सर्ट–पैंट पहन कर आए हैं ...

अध्यक्ष : अच्छा, पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, मेरा दूसरा पूरक यह है कि 2017 में सहरसा नगर निगम 213 करोड़ का डी0पी0आर0 वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए जमा किया था तो 137 करोड़ ही कैसे सैंक्शन हुआ यह मेरा दूसरा पूरक है सर, आप भी सर, उस समय में रहे हैं नगर विकास मंत्री, इसलिए थोड़ा सा...

अध्यक्ष : हमने सैंक्शन किया, मेरे ही स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नाले का काम जो 27 परसेंट हुआ, मेरे समय में हुआ था । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस समस्या को उठा रहे हैं, समस्या के स्थायी निदान हेतु अब पगड़ी खोलकर आए हैं, पगड़ी तो नहीं खोलना चाहिए क्योंकि पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है महोदय । लेकिन जब पगड़ी खोल ही दिए तो माननीय सदस्य की समस्या को निश्चित तौर पर इनके पगड़ी का लाज हमलोग रखेंगे और इनका ड्रेनेज योजना फेज–2 के निर्माण में प्रशासनिक स्वीकृति जो प्रदान की गयी है बुडको के मुख्यालय पटना के स्तर से निविदा प्रक्रियाधीन है । इनका जो कहना है, वे बता देंगे तो उसको हमलोग देख लेंगे और समीक्षा भी कर लेंगे ।

अध्यक्ष : श्री राम सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2486, श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या–04, बगहा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नगर परिषद्, बगहा में "मैरिन ड्राईव" निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्राप्त है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री राम सिंह : जी । अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से और नगर विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं वर्तमान में बगहा नगर परिषद के 22 वार्ड गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है । वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और यह रास्ता हो जाने से वाल्मीकि की तपोभूमि पर्यटण के दृष्टिकोण से महत्व रखता है, इससे सुगमता होगी, साथ में उत्तर प्रदेश के सटे हुए होने के कारण ये काफी सुविधा होगी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी काफी दयालु हैं और विचार रखें इसको बनवाने के लिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–4 / यानपति / 26.02.2026

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न किए हैं महोदय, तो खंड–1 स्वीकारात्मक है । खंड–2 आंशिक स्वीकारात्मक है और खंड–3 में स्पष्ट कह दिया गया है । इन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है तो निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । इतना स्पष्ट उत्तर दिया गया । इसमें कंफ्यूजन कहां है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रत्नेश कुमार ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक और है । मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन से कि क्या काफी दूर रहने वाले लोगों को, जंगल किनारे रहनेवाले लोग अगर अनुमंडल है, जिला है, क्या वहां मरीन ड्राइव नहीं बनना चाहिए, वहां नगर परिषद, पुलिस जिला है, अनुमंडल है और भविष्य में जिला भी बननेवाला है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और वाल्मीकि की तपोभूमि है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ जो विकसित शहर है वहीं बने, बाकी दूर–दराज इलाके में नहीं बने, क्या कारण है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने ये कहां कहा कि नहीं बने, पूरे बिहार की धरती पर, हर बिहारी, जंगल में रहे या झोपड़ी में रहे या महल में रहे, हर बिहारी का महत्व है महोदय और हमारी डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ सबका विकास के भाव को रखता है । आज पटना में जो गंगा पथ बना तो महोदय जंगल में रहनेवाले लोग भी उसका लाभ उठाते हैं, चलते हैं, झोपड़ी में रहनेवाले भी और महल में रहनेवाले भी । ये इस तरह की भावना का प्रकटीकरण महोदय, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, राज्य के हैं, हमको समग्र और एक मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि हम यहां पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी भाषा राज्य के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो, समग्र समाज के बीच में हो । तो इस तरह की भावना का प्रकटीकरण महोदय पवित्र मंदिर में कतई उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री रत्नेश कुमार ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक है । तीन सौ कि0मी0 दूर रहनेवाले लोग, जंगल में रहनेवाले लोग पुराने लोग हैं । आज स्थिति यह है कि मरीन ड्राइव देखने की क्षमता रखता है क्या । इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के

विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे ही हर आदमी अपने–अपने क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है ।

अध्यक्ष : श्री राम सिंह जी, अपना प्रयास आप जारी रखिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये मरीन ड्राइव मुंबई की तर्ज पर बनाना चाहते हैं और मुंबई की तर्ज पर बिहार की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वातावरण अलग है । महोदय तो माननीय सदस्य को हम कहेंगे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हर गांव को जोड़ने का, हर लोगों को राजधानी पहुंचने की व्यवस्था बन रही है । उस वातावरण में आ जायं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2487, श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र सं0–184, पटना साहिब)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार यंग मेन्स इंस्टीट्यूट और पीएमसीएच खंड के बीच स्थित भूमिगत मेट्रो मार्ग हेतु सुरंग का निर्माण पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा मई–जून 2025 में किया गया है। भूमिगत मेट्रो निर्माण की मानक प्रक्रिया के अनुसार, निर्माण–पूर्व भवन स्थिति सर्वेक्षण (बीसीएस) 25.01.2023 को किया गया था, जिसमें दरारें (क्रैक) देखी गई थीं ।

सुरंग बनाने के क्रम में भवन की निगरानी हेतु क्रैक मीटर और बिल्डिंग सेटेलमेंट मार्कर लगाये गये थे। उक्त क्लिप (क्रैक मीटर) भवन की दरारों की स्थिति की निगरानी हेतु लगाई गई थी।

उपरोक्त भवन का संयुक्त निरीक्षण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (L&T), दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड और इमारत के प्रतिनिधियों द्वारा 18.02.2026 को किया गया था और यह पाया गया कि दरारों की चौड़ाई में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री रत्नेश कुमार : उत्तर प्राप्त है महोदय । उत्तर से संतुष्ट हैं लेकिन उसमें पूरक कुछ जोड़ना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : जोड़ लीजिए ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, बिहार यंग मेन्स इंस्टीच्यूट, टेबल टेनिस, बिहार के खिलाड़ियों का मक्का है और वहां पर मेरे प्रश्न के उपरांत समीक्षा के लिए अधिकारी गए थे और भवन के क्रैक का मापी भी किया था । परंतु जब यह मापी करने वाला यंत्र लगाया गया था, वह यंत्र मेट्रो कॉरपोरेशन के निर्माण के समय जब वह क्रैक हो गया उसके बाद उसकी मापी की गयी थी तो जब उसका मिलान किया गया तो उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । परंतु वह क्रैक उत्पन्न ही मेट्रो कॉरपोरेशन में, मेट्रो के निर्माण से हुआ है महोदय और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय का विलर सिनेट हॉल 1920 में बना

हुआ, बहुत ही विरासत वाला, प्रतीक वाला भवन है । उसमें भी कई जगह मेट्रो के निर्माण से क्रैक उत्पन्न हो गया है । माननीय मंत्री जी इसको फिर से एक बार ज्वाइंट टीम बनाकर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसकी समीक्षा करवा लें और इतना पुराना भवन है, उसके नवनिर्माण में भी सहयोग हो सके, माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है महोदय, हमलोग उसको दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2488, श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र सं0–07, चनपटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक।

नगर पंचायत, चनपटिया द्वारा दो (02) चलंत शौचालय की मरम्मत कर षष्ठम् वित्त आयोग के अनुरक्षण निधि से पाँच लाख चौहत्तर हजार एक सौ अड़तीस रूपये भुगतान की गई है।

2. अस्वीकारात्मक।

नगर पंचायत चनपटिया में पिछले दो वर्षों में सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन एवं अन्य विभिन्न संसाधन हेतु कुल रू० 3,79,78,919.00 (तीन करोड़ उन्यासी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस रू०) का खरीद नगर पंचायत बोर्ड से पारित कराने के उपरांत Gem Portal के माध्यम से की गई है।

3. उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री अभिषेक रंजन : महोदय, सबसे पहले तो आसन के माध्यम से हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अंचल कार्यालय में लोगों का शोषण हो रहा था, उन्होंने सख्ती, पारदर्शी और निर्णायक जो कार्यशैली है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और जिस हिसाब से जवाब आया है महोदय उस जवाब में अगर आप गहनता से विचार करें तो उसमें बड़े भ्रष्टाचार हैं, उसे उजागर करता है । महोदय, अगर आप देखें तो एक निर्धन परिवार को मात्र दो लाख रुपये का पक्का जो आवास है, वह दिया जाता है, शौचालय बनवाने के लिए जो 12 हजार रुपये दिये जाते हैं और करोड़ों रुपये खर्च करके, आपके डाटा के हिसाब से आपने जो जवाब दिया हुआ है उसमें 41 हजार लगभग, 42 लाख रुपये जो सफाई पर खर्च हो रहा है और जो दो शौचालय है उसकी रिपेयरिंग के लिए लगभग 5 लाख 74 हजार रुपये लगभग खर्च कर दिया गया और तमाम करोड़ों रुपये जो है, नगर पंचायत में खर्च करने के बाद 2022–23 में सर, जो स्वच्छता रैंकिंग

थी चनपटिया की वह टॉप टेन में आती थी स्टेट रैंकिंग में, तो इस 2024 में वो रैंकिंग 100 के अंडर में चली गई, 91 में एक स्टेज में थी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अभिषेक रंजन : सर, पूरक पूछते हैं । आज के डेट में जो हालात हैं वो 142 जो स्वच्छता रैंकिंग है उसपर चनपटिया है, वह चला गया तो महोदय हम इतना ही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि इतना भारी जो बजट है वो खर्च करने के बाद भी और लगातार स्वच्छता रैंकिंग गिर रही है । क्या आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है हम उसको दिखवा लेते हैं और जांच भी करवा देते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2489, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–76, सिमरी बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत प्रखण्ड–सिमरी बख्तियारपुर पंचायत–कठडुमर अंतर्गत कुल 13 वार्डों में 18 अदद योजना अधिष्ठापित है। नल–जल योजना अंतर्गत छुटे हुए टोलों के तहत 02 अदद वार्डों यथा– 7ए एवं 8बी में योजना निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे 15 मार्च 2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। वार्ड/योजना संख्या–1ए, 1बी, 3ए, 3बी, 3सी, 04, 05, 6ए, 6बी, 07, 08, 09, 10, 11ए & 11बी में नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। वार्ड संख्या–02 अन्तर्गत अधिष्ठापित योजना वर्तमान में तकनीकी दोष की वजह से अकार्यरत है जिसे 24 घंटे के अंदर चालू करा दिया जायेगा । प्रखंड–सिमरी बख्तियारपुर पंचायत–कठड्डमर अंतर्गत वार्ड संख्या–08, 07 एवं 10 में CGRC (Centralised Grievance Redressal Cell) के माध्यम से 10 अदद शिकायत प्राप्त हुए हैं जिनमें से 08 अदद शिकायतों का निराकरण ससमय करा दिया गया है। 02 अदद शिकायत जो कि वार्ड संख्या–06 अंतर्गत 20 फरवरी 2026 एवं 24 फरवरी 2026 को प्राप्त है, का निराकरण कराया जा रहा है जिसे दिनांक–28.02.2026 तक निराकरण करा दिया जायेगा । वार्ड/योजना संख्या–12–13 का कार्य संवेदक मेसर्स खुशी कंस्ट्रक्शन को आवंटित है। दिनांक–29.07.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में कार्य कराया जा रहा था, परन्तु कार्य धीमी गति रहने के कारण उक्त एकरारनामा को विखंडित कर पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही थी। संवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना

में वाद दायर करने के कारण तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No–19915/2025 में दिनांक–02.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में निविदा की कार्रवाई लंबित है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है संजय बाबू ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । पूरक पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा के कठडूमर पंचायत के जल–नल योजना के बारे में प्रश्न पूछा जवाब आया है कि कुल 13 वार्ड में 18 योजना कार्यरत है । और ये लिखते हैं मंत्री महोदय कि 15 जो है उसमें से चालू है । फिर नीचे दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि 10 योजनाओं पर जो है सेंट्रलाइज्ड ग्रीभांन्स रीड्रेसल सेल से शिकायत आ गई है तो वह थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है । मेरा ये कहना है कि यहां के जो एक्सक्यूटिव इंजीनियर थे जिन्होंने जो क्वेश्चन हमने डाला तो वे चेक करने गए तो उन्होंने इसको लीपापोती करना चाहा । पूरे पंचायत में कोई भी जल–नल योजना चालू नहीं है । इसको मंत्री महोदय को कहिए, रिक्वेस्ट है कि इसको जो है बनवायें, इसपर ध्यान दिया जाय ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के द्वारा उत्तर पढ़ने में थोड़ी गलती की गई है, इसमें 10 योजनाओं के ऊपर ग्रीभांन्स रीड्रेसल के माध्यम से नहीं हुआ है । वार्ड संख्या–10 में योजना का जिक्र किया गया है । 10 अलग–अलग योजनाओं के ऊपर दिक्कत नहीं पाई गई है ।

श्री संजय कुमार सिंह : लिखा हुआ है, पढ़ा जाय कि माध्यम से 10 अदद शिकायत प्राप्त हुए हैं जिनमें से 8 अदद शिकायतों का निवारण ससमय कर दिया गया है, पढ़ा जाय । शिकायत वार्ड संख्या–6, 20 जनवरी और 24 जनवरी को प्राप्त हुई थी...

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : उन सबका निवारण कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार पुनः दिखवा लीजिए । जो कमियां हैं, कमियों को दूर करते हुए, पेयजल का मामला है, करवा दीजिए । ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2490, श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)</u>

(लिखित उत्तर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह प्राधिकृत किए गए हैं ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मोतिहारी कृषि बाजार प्रांगण के जीर्णशीर्ण दुकान/चबुतरे/ कार्यालय आदि का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। इस योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है। योजना

का कार्य का उद्घाटन गत माह में कर दी गयी है। दुकानों एवं अन्य परिसम्पतियों के आवंटन हेतु आवश्यक नियमावली प्रक्रियाधीन है तथा इसके पूरा हो जाने के साथ नियमानुसार आवंटन की प्रकिया प्रांरभ कर दी जायेगी।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूंकि जवाब इसमें प्राप्त है । इसमें सवाल क्या है महोदय कि बाजार समिति मोतिहारी के बाजार समिति में निर्मित जो दुकान है उसके आवंटन की दिशा में, कार्यालय के आवंटन की दिशा में तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ये नियमावली बन रही है, प्रक्रियाधीन है । आपलोगों ने दुकान बना दिया तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक समय–सीमा निर्धारित करके उन दुकानों को, बेरोजगार के जिम्मे कर दिया जाय ताकि उनका रोजगार चालू हो जाय । दूसरा जो पुराने दुकानदार हैं बाजार समिति मोतिहारी के अंतर्गत जो पुराने दुकानदार हैं क्या उनको आप प्रायोरिटी में रखेंगे । और तीसरा कि बाजार समिति क्षेत्र में रोड नाला, और लाइट की भी समस्या है उसको भी क्या आप योजना बनाकर बहुत जल्द करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है इसीलिए कृषि क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं । हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए काम कर रही है । बड़े–बड़े कृषि बाजार मंडी, कृषि हाट से लेकर के कृषि आधारित उ़द्योगों की स्थापना, सभी दिशा में तेजी से काम हो रहा है । इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा ।

... क्रमशः...

टर्न–5 / मुकुल / 26.02.2026

क्रमशः

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : जो नये बाजार प्रांगण बन रहे हैं उसमें भी दुकान, कैंटिन आदि के आवंटन की नियमावली तैयार की जा रही है और शीघ्र ही नियमावली बनाकर के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी और जहां तक आपने चिंता जाहिर की है उसके मॉडर्नाइजेशन का, नाला का उन सब चीजों पर जो हम आवंटित करेंगे, जो नियमावली बनाने जा रहे हैं, उसमें हम यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे, जो किसान आयेंगे उनके लिए पानी उपलब्ध हो, उनके लिए रास्ते अच्छे ढंग से हो, उनके लिए शौचालय हो इन सब चीजों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और यथाशीघ्र यह कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : राज्य के अधिकांश जिलों में बनकर तैयार है तो नियमावली को हम चाहेंगे कि एक समय सीमा में बनाकर के, इससे किसानों को और दुकानदारों को उसका अच्छा लाभ होगा ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : सर, बहुत जल्द मैंने बुलाकर के देखा था, आपने भी कुछ मुझे कहा था, आपके ही क्षेत्र का कुछ मामला है तो यथाशीघ्र इसकी कार्रवाई करके किसानों को आवंटित कर दिया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले से आपका बाजार समिति है और वहां आपने किसी को आवंटित नहीं किया है, उसमें बेमतलब के लोग जो ऑक्यूपाई करने वाले लोग हैं, वे लोग घुसकर ऑक्यूपाई करके उसमें अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं तो सरकार उस संदर्भ में क्या निर्णय ले रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कहा है कि नियमावली बना रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सर, मंत्री जी नये वाले का कह रहे हैं, मैंने पुराने वाले के संबंध में भी जानना चाहा है और यह सदन भी जानना चाहती है कि जो पुरानी बाजार समिति है उसमें माननीय मंत्री जी ने क्या निर्णय लिया है, सरकार ने क्या निर्णय लिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसकी समीक्षा कर लीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है जो पहले से काम कर रहे हैं 10 साल, 20 साल से तो प्राथमिकता है उनको हम पहले आवंटित करेंगे और बाद में जो नये दुकान बने हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया हम बना रहे हैं, बहुत शीघ्र जानकारी मिल जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2491, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक।

कैमूर जिला अंतर्गत प्रखंड–रामगढ़ के ग्राम–सदुल्लाहपुर में सदुल्लाहपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत अवस्थित जलमीनार की जर्जर स्थिति के आकलन हेतु Non-Destructive Test की कार्रवाई की जा रही है। Non-Destructive Test के परिणाम के आने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों की एक समिति का गठन कर समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवश्यकतानुसार विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी । तत्पश्चात नए जलमीनार का निर्माण आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा। वर्तमान में उक्त योजना से सीधी जलापूर्ति की जा रही है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक।

जलमीनार की जर्जर स्थिति होने के कारण प्लास्टर आदि गिरने की संभावना बनी रहती है । वर्तमान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के लिए जलमीनार परिसर बंद कर दिया गया है।

3. उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । महोदय, जवाब मिला है, हमारा सवाल था कि रामगढ़ प्रखंड के सदुल्लाहपुर में पानी टंकी जो जीर्ण–शीर्ण हो गयी है उसको तोड़ने का । महोदय, जवाब मिला है और सवाल के बाद...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि टीम गयी थी जांच करने, टीम ने कहा कि इसको तोड़ना है, जरूरी है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गयी है तो महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि कब तक उसको तोड़ा जाए क्योंकि टंकी के बगल में स्कूल है और घर है । टंकी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गयी है । दूसरा पूरक प्रश्न है महोदय कि 2010 में यह जलमीनार बनी थी, 2014 में ही जलमीनार टूटने लगी तो 4 साल में ही यह जलमीनार जो है टूटने लगी तो संवेदक पर कौन सी कार्रवाई की गयी इसके लिए और तीसरा सवाल है कि इसका विनष्टीकरण कब होगा और नई जलमीनार कब वहां पर लगायी जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसमें दरार पायी गयी थी आर0सी0सी0 टावर में जलमीनार के, उसका टेस्ट वगैरह किया गया है, टेस्ट की रिपोर्ट 28 फरवरी तक आ जायेगी, रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी और चूंकि अब जो बता रहे हैं वह 2010 का बना हुआ है और उसमें अगर टाईम स्पैन उसका अगर पूरा नहीं हो रहा है तो जो भी जरूरी कार्रवाई होगी संवेदक पर की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कहा है कि 28 फरवरी तक, बिल्कुल आप दे दीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को दे देता हूं, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है महोदय अगर उसे नहीं तोड़ा जायेगा तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 28 फरवरी तक...

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, जितनी जल्द कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अगर उसका विनष्टीकरण नहीं होगा तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज 26 फरवरी, 28 फरवरी दो दिन रह गया है, इंतजार कीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : ठीक है महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को पेपर दे दीजिए । श्री अखतरूल ईमान ।

तारांकित प्रश्न सं0–2492, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0–56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : नगर पंचायत, अमौर में प्रश्नगत् योजना स्वीकृत नहीं है ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मेरा सवाल यह था कि क्या अमौर के वार्ड नं0–5 में अशरफ नगर में 500 की आबादी बसती है जिसका कोई रास्ता नहीं है । मैं समझता हूं यह बड़ा गंभीर सवाल है कि कोई आबादी कहीं बसती हो तो सुख के अधिकार के नियम के तहत उनको सड़क मिलनी चाहिए, लेकिन घिरी हुई आबादी है, एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, शादी में बरात नहीं आ पाती है, लोगों को हर दिन की आवाजाही में दिक्कत है और विभाग ने जो जवाब दिया है सर वह अत्यंत असंवेदनशीलता का प्रतीक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, जवाब में सिर्फ यह कहा गया है कि योजना स्वीकृत नहीं है, क्या यह जवाब होगा सर । मेरा साफ कहना है कि क्या सरकार जो अशरफ नगर अमौर है वहां के 500 से अधिक आबादी जो बसी हुई है उसके लिए जमीन अधिग्रहण करके सड़क बनाना चाहती है यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं ये चाहते हैं कि खंडवार जवाब आये । माननीय सदस्य, आप यही चाहते हैं न ? तो महोदय इनका खंड–क आंशिक स्वीकारात्मक है महोदय । नगर पंचायत अमौर के वार्ड सं0–6 के आंतरिक भाग में आवागमन हेतु सड़कें उपलब्ध हैं तथापि उक्त मोहल्ले को मुख्य बाजार से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का अभाव है ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं सर । इसको दिखवा लिया जाए, सड़क नहीं है । दूसरी तरफ से आकर रुक गयी है । मेन बाजार से 7 कि0मी0 की दूरी पर बाजार है और 7 कि0मी0 की दूरी पर प्रखंड कार्यालय है, हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है सर । 7 कि0मी0 दूर से वह सड़क जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको पुनः दिखवाकर के इसका....

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन होगा कि सरकार का हमलोगों ने सुना है कि सुख के अधिकार के नियम के तहत, वेल्फेयर स्टेट में ऐसी आबादी जहां पर बसी हो उनके यातायात का कोई मामला न हो, सरकार जमीन अधिग्रहण करके उसका रास्ता देती है तो क्या सरकार यह करने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि जनहित में उक्त मोहल्ले में सड़क निर्माण की आवश्यकता के प्रति निकाय पूर्णतः संवेदनशील है, इस विषय को नगर पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में विधिवत प्रस्ताव के माध्यम से उपस्थापित किया जायेगा, बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी महोदय ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है, यह पूरे बिहार का मामला है, इस तरह की आबादी, सरकार का खुद संकल्प था कि

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कहा है कि....

श्री अखतरूल ईमान : ऐसी आबादी जहां पर कोई उनका रास्ता नहीं हो, सुख के अधिकार के नियम के तहत ऐसे तमाम लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ने का उपाय किया जायेगा तो क्या सरकार समीक्षा करके ऐसे कितने गांव हैं, दलितों के गांव हैं, खासकर गरीबों के गांव हैं, बाढ़ विस्थापितों के गांव हैं.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सवाल आप उठा रहे हैं, यह प्रश्न में है नहीं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, इसको करवा दिया जाए, यह वेलफेयर का मामला है सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न किया है वह पूर्णिया जिला का मात्र है ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् अगर कोई चीज नहीं चाहे तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि लोगों को जन सुविधा से वंचित कर दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संजय जी आप बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, देखिए माननीय सदस्य भी हमारा समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको क्लीयर कर दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हम इसको दिखवा लेते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2493, श्री सोनम रानी (क्षेत्र सं0–44, त्रिवेणीगंज (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक।

समाहर्त्ता, सुपौल से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार त्रिवेणीगंज प्रखंड अन्तर्गत अभियान बसेरा–01 के तहत कुल–1282 भूमिहीन परिवारों को वासभूमि हेतु पर्चा निर्गत किया गया तथा द्वितीय चरण में अभियान बसेरा–02 के तहत कुल–80 परिवारों को पर्चा निर्गत कराया गया है। शेष भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरान्त लाभुकों को पर्चा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर मिला है, लेकिन हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं है और सड़क, नहर के किनारे बसे हुए हैं और वे सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं । महोदय, मेरा एक प्रश्न और है, इसका उत्तर भी मिला है लेकिन इसमें भी मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं । त्रिवेणीगंज नगर परिषद् में बस पड़ाव प्राथमिकता के आधार पर परित रहने की कृपा की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जवाब स्पष्ट तौर पर दिया गया था, फिर भी माननीय सदस्या को मैं अवगत करा दूं कि वासगीत पर्चा देने के लिए सरकार की दीर्घकालीन योजना है, जो भूमिहीन व्यक्तियों को दी जाती है महोदय और यह बी0पी0एस0टी0 एक्ट 1947 के अंतर्गत दी जाती है । महोदय, इसका सर्वेक्षण कराकर पर्चा जिला प्रशासन द्वारा दिया जायेगा और इसको गंभीरता से सरकार ले रही है कि हर भूमिहीनों को मिले । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी दे देना चाहता हूं कि पूर्णिया के अंदर जब हम समीक्षा कर रहे थे तो दिये हुए पर्चेधारी की जमीन को महोदय भू–माफिया के द्वारा उनको कुछ लोभ–प्रलोभन देकर के अपने कब्जे में करके उसको दूसरे हस्तांतरण का, हमने जिलाधिकारी को कहा कि इस पर कार्रवाई और इस तरह के कई मामले निकल रहे हैं महोदय जिसमें विभागीय कर्मचारी हो या पदाधिकारी सबको हमलोग गंभीरता से ले रहे हैं महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2494, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र सं0–01, वाल्मीकिनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

''हर घर नल का जल'' योजना के अंतर्गत जिला–पश्चिम चम्पारण के प्रखंड पिपरासी अंतर्गत पंचायत–मुराडीह घोड़हवा गाँव, वार्ड नं0–02 में दो योजना है, जिसमें गाँव–घोड़हवा, टोला–घोड़वा में एक योजना है एवं कटकी टोला में एक योजना है। उक्त टोलों की योजनाएँ चालू हैं। वर्तमान में कटकी टोला में अवस्थित योजना का मोटर जल जाने के कारण योजना से जलापूर्ति बाधित हुई थी। जिसमें नया मोटर पम्प अधिष्ठापित कर पुनः जलापूर्ति चालू कर दिया गया है। साथ ही, पाईप लाईन लिकेज की भी मरम्मति कराई गई है एवं वर्णित वार्ड सं0–02 के दोनों टोलो में लगभग कुल–260 घरों में जलापूर्ति की जा रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है न ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है लेकिन ये उत्तर पूरा गलत है, क्योंकि मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं वहां से फोटो भी

मंगवा लिया हूं और वहां पर नल–जल वाला जो भी है हमारे पूरे विधान सभा 53 पंचायत हैं, लेकिन कहीं भी 30 परसेंट छोड़कर 70 परसेंट सारा फेल है । कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था बढ़िया से नहीं है और जिस गांव के बारे में और जिस वार्ड के बारे में मैंने प्रश्न किया था, वहां तो शुरू से हुआ ही नहीं है और वहां पर आज तिथि में भी वहां का मोटर खराब है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर परियोजना चालू है, मेरे पास भी फोटो है, आप फोटो में देख सकते हैं, बीच में चूंकि माननीय सदस्य जिस वार्ड का जिक्र कर रहे हैं वार्ड नं0–2 में वहां दो योजना है, एक योजना घोड़हवा टोला में है और एक कटकी टोला में है । कटकी टोला की योजना बीच में खराब हुई थी लेकिन उसका भी मरम्मति का काम पूरा करा लिया गया है और दोनों योजनाएं अब चल रही हैं, उनका फोटो भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं ।

टर्न–06 / सुरज / 26.02.2026

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय मंत्री जी आज का फोटो हम भी मंगवाये हैं ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : नल खोलना पड़ेगा तब चलेगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : हम नल भी खोलवा कर देखे हुये हैं मंत्री जी । आपका पी0एच0ई0डी0 वाला जितना है, हर जगह बंदरबाट करता है पैसे का लेकिन कोई भी काम नहीं करता है । पी0एच0ई0डी0 वाला जितना है वह सब बंदरबाट करता है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी एक बार पुनः इसकी समीक्षा कर लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय मंत्री जी आप समीक्षा करके हमारे पूरे विधान सभा का ठीक करवा दीजिये ।

अध्यक्ष : पेयजल का मामला है समाधान करवा दीजिये ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : ठीक है महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2495, श्री संजय कुमार (क्षेत्र सं0–183, कुम्हरार)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम पटना से प्राप्त पत्रांक–3737, दिनांक–23.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना नगर निगम में कार्यरत कर संग्राहकों (व्यक्ति विशेष) के द्वारा दिनांक 16.12.2009 से 24.05.2018 के बीच किए गये कार्यों की जाँच एवं संबंधित अंचल से मिलान करते हुए पूर्ण गणना के उपरान्त एक माह के अन्दर भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी।

पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक–3849 दिनांक–25.02.2026 द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित किया गया है कि लंबित पारिश्रमिक

के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जा रही है। जवाबदेही तय करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार जी का प्रश्न पूछने के लिये श्री रत्नेश कुमार कुमार जी को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री जी इन्टरवेंशन से एक महीना के अंदर लगभग 10 वर्षों के मानदेय के भुगतान की बात भी कही गयी है । बस एक आग्रह है कि पटना नगर निगम में जो कार्यरत, जो टैक्स कलेक्टर हैं उनका 10 साल का मानदेय बाकी है और चूंकि होली का त्योहार है । माननीय मंत्री जी ने एक महीने में भुगतान की बात कही है लेकिन होली का त्योहार है तो कुछ उनको पैसा होली से पहले रिलीज हो जाए । तो उनके घर पर भी होली का त्योहार मनाया जा सकेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम दिखवा लेते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2496, श्री कौशल किशोर (क्षेत्र सं0–173, राजगीर (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 स्वीकारात्मक ।

3. प्रश्नगत खंड क्षेत्र नगर परिषद खगौल नव विस्तारित क्षेत्र में शामिल है। नव विस्तारित क्षेत्र में होने के कारण सड़क–सह–नाला निर्माण कार्य नगर निकाय द्वारा तत्काल प्रस्तावित नहीं है।

श्री कौशल किशोर : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 और खंड–2 का उत्तर स्वीकारात्मक लिखा गया है । मैं खंड–2 में जानना चाहता हूं कि अतिक्रमण मुक्त कब तक होगा और खंड–3 में सड़क नाला निर्माण कार्य नगर निकाय द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रस्तावित नहीं है तो यह कब तक प्रस्तावित होगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि खंड–क स्वीकारात्मक है, खंड–ख स्वीकारात्मक है और खंड–ग इनका है कि उक्त सड़क–सह–नाला का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है तो महोदय साफ शब्दों में कहा गया है कि नव विस्तारित क्षेत्र में होने के कारण सड़क–सह–नाला निर्माण कार्य नगर निकाय द्वारा तत्काल प्रस्तावित नहीं है। महोदय, प्रस्ताव आयेगा तो दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–2497, श्री राहुल कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–201, डुमरांव)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

समाहर्त्ता, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार डुमराँव अंचल अन्तर्गत डुमराँव नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत सर्वे खतियान 1989 के भू–स्वामी कॉलम में अनावाद बिहार सरकार है एवं अधिकार के कॉलम में मूल रैयत के वंशज का नाम दर्ज है।

(2) अस्वीकारात्मक।

भूमि का दाखिल–खारिज, रसीद, एल0पी0सी0 एवं अन्य राजस्व कार्य किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । दो पूरक प्रश्न पूछता हूं । महोदय, 1989 के सर्वे में डुमरांव नगरपलिका क्षेत्र में 45 प्रतिशत सर्वे खतियान को भू–स्वामी के कॉलम में अनावाद कर दिया गया है । जबकि 1911–12 में मूल रैयत का नाम दर्ज था । मेरा पूरक यह है चूंकि त्रुटि सामने आ गयी है तो क्या सरकार इस त्रुटि को सुधारने का विचार रखती है ? यह मेरा पहला पूरक है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर इनको बताया गया है कि जो प्रश्न है वह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार डुमराँव अंचल अन्तर्गत डुमराँव नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत सर्वे खतियान 1989 के भू–स्वामी कॉलम में अनावाद बिहार सरकार है एवं अधिकार के कॉलम में मूल रैयत के वंशज का नाम दर्ज है और यह मामला अनावाद बिहार सरकार की भूमि से संबंधित है । जन संवाद कार्यक्रम में ऐसे कई मामले सामने आये हैं कि भू–माफिया ने सरकारी भूमि को कब्जा किया है, सर्वेक्षण कराया जा रहा है । उसके बाद इसको गंभीरता से लेकर हम उचित नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, मेरा यह कहना है कि 1911 में जब मूल रैयत का नाम दर्ज था और 1989 में सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि अब उसमें अनावाद हो गया है तो मूल रैयत का नाम ही दर्ज है क्योंकि जब अप्लीकेंट जाता है दाखिल खारिज कराने के लिये तो अनावाद देखते ही उस पर रिजेक्शन आता है । मेरा पूरक दूसरा यह है कि ऐसे जमीनों में कितने केस दाखिल खारिज हुये हैं या पेंडिंग हैं ? क्या सरकार इसकी समीक्षा करने का विचार रखती है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने बताया जो माननीय सदस्य कह रहे हैं । बहुत सारे जगह पर जो हमारे अभिलेख थे, उसके पेज गायब हैं । इसकी जानकारी हमलोग उपलब्ध करा रहे हैं और सरकार सक्षम है, समय

लग सकता है लेकिन जिन लोगों की गलत मानसिकता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर हमारे अभिलेख को नष्ट करने का, फाड़ने का या छुपाने का प्रयास किया है । हमने वैसे लोगों से आग्रह भी किया है और सम्मानित करने की बात भी कही है कि जो उपलब्ध करायेंगे और नहीं भी उपलब्ध होगा तो उसका कई हमारे पास मैकेनिज्म है कि हम उसको वह सारे अभिलेख को सुव्यवस्थित करवा लेंगे तब तक थोड़ा समय लगेगा समाधान में लेकिन समाधान सरकार हर हाल में करेगी ।

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि कई ऐसे अंचल हैं बिहार में, जिसका पेज फट गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक सिरियस मामला माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डाल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव का 2016 में पत्र निकलता है उसमें जिस जमीन का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि वह जमीन रैयतों की है । फिर 2022 में उसी जमीन का रिपोर्ट गोपालगंज के कलेक्टर द्वारा दिया जाता है । उसी जमीन को कहा जाता है कि अनावाद के नाम से दर्ज है । महोदय, उसी जमीन के एक रैयत को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है आधा बन गया है और अब सी0ओ0 ने रोक लगा दिया है...

अध्यक्ष : सरकार दिखवा लेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : यह मामला गोपालगंज के....

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं आज मंत्री जी को दूंगा । मंत्री जी एक सप्ताह में ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : जरूर करवायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है । मुश्किल से पांच परसेंट ही गायब है और उसमें भी हम जो मैकेनिज्म लगाये हैं, जब सफल होंगे तो सदन को भी अवगत करायेंगे । महोदय, ऐसे लोग जो इस तरह का खेल खेले हैं, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : राहुल जी आपकी सारी बातें आ गयी, अब बैठ जाइये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मंत्री जी ने कहा कि...

अध्यक्ष : यह सवाल डुमरांव का था..

(व्यवधान)

सरकार ने कहा कि दिखवायेंगे ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, एक छोटा सा प्वाइंट अरेज करना है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार तैयार है ऐसे लोगों को पहचान कर सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, एक छोटा सा प्वाइंट । डुमरांव का केस इस तरह से अलग है...

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य खड़े हैं तो माननीय सदस्य को बोलने का मौका कैसे दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप । आप पूरक पूछ लिये थे ? आपने पूरक पूछा है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, एक छोटा सा प्वाइंट है...

अध्यक्ष : पूछ लीजिये ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, डुमरांव का केस थोड़ा सा अलग इस तरह से है कि 1911 के सर्वे में मूल रैयत का नाम दर्ज है । गलती से 1989 के सर्वे में अनावाद किया गया था, यह एक त्रुटि है । मैं इसको सुधार करने की बात कह रहा हूं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है...

श्री राहुल कुमार सिंह : और सरकार आंशिंक रूप से एक्सेप्ट भी कर रही है कि हां ऐसा हुआ है ।

अध्यक्ष : बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने उन बातों को कहा है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने कहा है । देखिये एक चीज तो बता दें कि आप, हम सब आज 60 से 70 परसेंट माननीय सदस्य बता रहे हैं कि जमीन से जुड़ा ही आवेदन और शिकायत सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के पास आता है और हम सब निदान भी चाहते हैं लेकिन ये तकनीकी मामला होने के कारण और न्यायालय के द्वार खुले रहने के कारण हमलोग कहीं न कहीं संभल कर कोई कदम उठाते हैं । महोदय, जहां–जहां इस तरह के मामले हैं हम और हमारे प्रधान सचिव, पूरा विभाग, पूरी सरकार जिस मामले पर कोई विवाद नहीं है, जिस गांव के, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पूरा गांव ही छूटा हुआ है । महोदय, अकेले इनका नहीं कई जगह ऐसी स्थिति है । हम उसको चाहते हैं कि आपलोगों के सहयोग से हम समाधान करें और उस समाधान में विवाद रहित जमीन को पहले निपटाये । जो विवादित है उसका राजस्व न्यायालय के द्वारा पूरी तहकीकात, जानकारी प्राप्त करके नियमानुसार समाधान करेंगे । थोड़ा समय लगेगा और हम सबको बड़ी गंभीरता और धैर्य के साथ सहयोग करने की भी जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का अच्छा प्रयास है ।

टर्न–7 / धिरेन्द्र / 26.02.2026

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ था, इम्पोर्टेंट विषय है चूंकि माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि अभिलेख गायब हुए । अभिलेख गायब हुए तो कोई रिस्पॉन्सबिलिटी तय करने में कितना टाईम लगेगा ? सी॰ओ॰ के ऑफिस से गायब हुआ या डी॰सी॰एल॰आर॰ के ऑफिस से गायब हुआ या भूमि सुधार का जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है वहां से गायब हुआ तो रिस्पॉन्सबिलिटी तय कर, उस पर कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार : महोदय, हम पूरा कर लेते हैं । दरअसल, बिहार में जितने अभिलेख गायब हुए हैं, वह लैंड लॉर्ड ने गायब किया है और लैंड लॉर्ड के ऊपर उंगली चलाना बहुत मुश्किल होता है । इसीलिए रिस्पॉन्सबिलिटी तय कर, मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी जी, बोलिये ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये । आपको इनके बाद मौका देंगे ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कैडस्ट्रल सर्वे में रैयत के नाम से है और रिविजनल सर्वे में बिहार सरकार हो गया है और इसका खामियाजा लोगों को करना पड़ता है और अभी वर्तमान में अगर वहां पर कोई सरकारी भवन बनता है तो उस कैडस्ट्रल सर्वे में जिसके नाम से है उसको भी तोड़ा जाता है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरूर ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी, बोल लीजिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की गरिमा की बात केवल कहना चाहता हूँ । सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे कभी–कभी ताली बजा देते हैं, मेज थप–थपाना चाहिए तो मंत्री लोगों को भी मेज थप–थपाना चाहिए, वे लोग ताली क्यों बजा रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब समय समाप्त हुआ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह आसन से निर्देशित किया जाय कि मंत्री कोई ताली नहीं बजायें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब सी॰ए॰जी॰ का प्रतिवेदन ले होगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । अब सी॰ए॰जी॰ का प्रतिवेदन ले होगा। माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । सी॰ए॰जी॰ का रिपोर्ट ले हो रहा है । शांति बनाये रखिये ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक'', ''अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल'', मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'', 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2) तथा ''विनियोग लेखे'' एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखाता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–238 एवं 241 के उपबंध के अनुसार क्रमशः लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथासमय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक'', ''अनुपालन लेखापरीक्षा सिविल'', मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'', 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2) तथा ''विनियोग लेखे'' एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के

पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक'', ''अनुपालन लेखापरीक्षा सिविल'', मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'', 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2) तथा ''विनियोग लेखे'' एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए ''निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–35 के तहत् बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री अरूण सिंह, स॰वि॰स॰, श्री संदीप सौरभ, स॰वि॰स॰, श्री अजय कुमार (138), स॰वि॰स॰, श्री रणविजय साहू, स॰वि॰स॰, श्रीमती सावित्री देवी, स॰वि॰स॰, श्री अजय कुमार (231), स॰वि॰स॰, एवं श्री अभिषेक रंजन, स॰वि॰स॰ । आज दिनांक–26 फरवरी, 2026 को सदन में राजकीय विधेयक निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह जी, पढ़िये ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद में 16 फरवरी से स्थानीय लोग बागमती नदी पर प्रस्तावित तटबंध निर्माण के विरोध में सामूहिक अनशन पर हैं । बागमती तटबंध का मुद्दा पिछले 60 वर्षों से विवाद और जन आंदोलन का विषय रहा है । वर्ष 2017 में सरकार ने रिव्यू कमिटी गठित कर रिपोर्ट आने तक निर्माण रोकने की घोषणा की थी, किन्तु आज तक

न तो कमिटी की रिपोर्ट आई और न ही उसे प्रभावी ढंग से कार्य करने की सुविधा दी गई । इसके बावजूद निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है ।

अभी हाल के निर्माण कार्य से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में लगभग 120 गांव तटबंध के भीतर आ जायेंगे, जिससे हजारों परिवारों के विस्थापन और उपजाऊ भूमि के नुकसान की आशंका है । सरकार को दमन के बजाय संवाद और वैज्ञानिक समीक्षा का रास्ता अपनाना चाहिए ।

अतः समीक्षा रिपोर्ट आने तक निर्माण पर रोक, कमिटी को प्रभावी बनाने तथा संभावित विस्थापितों को पुनर्वास की स्पष्ट नीति बनाने पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू जी, पढ़िये ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 02 लाख 10 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में देने का संकल्प लिया गया है । जिसके तहत चयनित महिलाओं को प्रथम किस्त के रूप में 10–10 हजार रुपये दिये गए। जिसकी संख्या लगभग 40 प्रतिशत है लेकिन धरातल पर यह देखा जा रहा है कि 60 प्रतिशत महिलाओं को प्रथम किस्त भी भुगतान नहीं किया गया है और जिनको प्रथम किस्त का आवंटन हुआ है, उन्हें अगली किस्तों में अत्यधिक विलंब हो रहा है । इसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार बीच में ही रूक रहे हैं ।

अतः दिनांक–26.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी महिला लाभार्थियों को 02 लाख 10 हजार के पूर्ण राशि का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित कराने हेतु जैसे लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के इस बजट सत्र में सार्थक सहभागिता के लिए आप सभी को हृदय से साधुवाद है ।

लोकतंत्र के इस पवित्र मंच पर आप सबों ने जिस गंभीरता, तर्कशीलता और जनप्रतिबद्धता के साथ अपने विचार व्यक्त किए, वह जनादेश के प्रति हमारी सामूहिक निष्ठा का साक्ष्य है ।

वसंत ऋतु नवप्रभात, नवसृजन और नवचेतना का प्रतीक है । जैसे प्रकृति अपने विविध रंगों से इस धरा को आलोकित करती है, वैसे ही आपके विचार और संकल्प राज्य की प्रगति को नवीन दिशा देते हैं । इस सत्र में हुई विचार–विमर्श की सुगंध आने वाले समय में जनकल्याण की फसल के रूप में अवश्य फले–फूले, यह हमारी कामना है ।

इसी भाव से पारस्परिक सौहार्द और लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा को सुदृढ़ करने हेतु, इस बजट सत्र की समाप्ति पर दिनांक–27 फरवरी,

संध्या–7.00 बजे को 02, देशरत्न, पटना में वसंतोत्सव एवं रात्रि स्वरूचि भोज का आयोजन किया जा रहा है ।

इस अवसर पर औपचारिक बहसों से परे आत्मीय संवाद और सद्भाव के सुदृढ़ीकरण का भी माध्यम बनेगी । आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति अपेक्षित है । कृपया अवश्य आएं ।

...क्रमशः...

टर्न–8 / पुलकित / 26.02.2026

(क्रमशः)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शून्यकाल की सूचनाएं नेवा के वेबसाइट पर ही अपलोड करनी है । नेवा के मोबाइल ऐप से इसे न किया जाए ।

इससे एक ही सदस्य की सूचनाएं रिपीट हो जा रही हैं । कृपया इसका ध्यान रखा जाए । तकनीकी रूप से नेवा पोर्टल पर इसका सुधार किया जा रहा है ।

अब शून्यकाल लिए जाएंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय भर्ती हेतु तिथि 2023 से जारी है एवं बार–बार आवेदन तिथि बढ़ाई जा रही है, परंतु परीक्षा नहीं हुई । देरी से लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान तथा आयु सीमा पार होने का खतरा है । सरकार शीघ्र तिथि घोषित करे ।

श्रीमती दीपा कुमारी : महोदय, इमामगंज विधानसभा अंतर्गत तीनों प्रखंड बांके बाजार, इमामगंज एवं डुमरिया में पी0एच0ई0डी0 विभाग के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है । पाइपलाइन नहीं है, जहां नल जल पाइप है वहां पानी नहीं है, मोटर खराब पड़ा हुआ है। कई बार इस समस्या से विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुकी हूँ ।

श्री अविनाश मंगलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में पूर्व से पावर हाउस स्थापित है किंतु बढ़ती आबादी एवं विस्तृत क्षेत्रफल के कारण नियमित विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है।

अतः रानीगंज में 132 / 33 केवी क्षमता वाला नया पावर ग्रिड स्थापित किए जाने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सनहपुर निवासी श्री मनोज भगत के 14 वर्षीय पुत्र श्री रंधीर कुमार दिनांक 26 जून, 2023 से लापता हैं । सिंहवाड़ा थाना संख्या 126 / 23 दर्ज है। तीन वर्ष बीतने पर भी कोई सुराग नहीं मिला ।

अतः सकुशल बरामदगी हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी एन0एच0–2 से चेरकी गया जी रोड पर प्रतिदिन अत्यधिक वाहन का आवागमन होने से आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से फोरलेन सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता है।

अतः उक्त रोड को फोरलेन सड़क निर्माण करवाने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड में आजादी के बाद से अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है।

अतः प्राणपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाकर उसका नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार अनूप लाल मंडल जी के नाम से किए जाने की मांग मैं सरकार से करती हूँ।

श्रीमती बिनीता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के जिला परिषद् कार्यालय कर्मियों को सेवानिवृत्त के उपरांत भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में जिला परिषद् कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा बहाल है।

अतः मैं मांग करती हूं कि जिला परिषद् कार्यालय कर्मियों को पेंशन दिया जाए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु बिहार सरकार से भारत सरकार को अनुशंसा करने की मांग करता हूँ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर नगर में हाई मास्ट लाइटों की स्थापना में गंभीर अनियमितता पाई गई है। समिति गठन में विद्युत विभाग की अनदेखी कर नियमों को ताक पर रखा गया है। मैं सरकार से इस धांधली की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री अमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी–शिवहर में बिजली विभाग बिना सूचना के कनेक्शन काट रहा है और सीधी एफ0आई0आर0 दर्ज कर रहा है । विभाग के सचिव और एम0डी0 फोन का जवाब तक नहीं देते । अधिकारियों की इस संवेदनहीनता की उच्चस्तरीय जांच और उपभोक्ताओं का बकाया राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान हो ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बारसोई अनुमंडल में 26 जुलाई 2023 बिजली आंदोलन के दौरान दो युवकों की मृत्यु एवं एक युवक के घायल होने की घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । मृतकों को मुआवजा, फर्जी मुकदमें वापस लेने दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज के करीब 3 लाख खरवार जाति के लोग प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही अवैध वसूली से आक्रोशित हैं। मैं सरकार से

मांग करता हूँ कि बरौली सहित सभी अंचलों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और खरवार समाज को सुगमता से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाए ।

अध्यक्ष : श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ विधान सभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लु मुखिया जी को राजनीतिक साजिश एवं द्वेष के तहत झूठा आरोपित कर सी0सी0ए0 लगाकर मानसिक प्रताड़ित कर फंसाया गया है।

अतः उक्त सभी मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाकर जल्द न्याय दिलवाने की मांग करती हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत शेर पंचायत स्थित सुप्रसिद्ध बाबा पुरुषोतम नाथ मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के सुअवसर पर प्रतिवर्ष पुरुषोतम नाथ महोत्सव एवं बैकुंठपुर अंतर्गत टेरूआ (बंगरा) स्थित सुप्रसिद्ध लक्ष्मीसखी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के सुअवसर पर लक्ष्मीसखी महोत्सव का आयोजन सरकार कराये ।

श्री मनोज विश्वास : माननीय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज सदर अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं एवं आपातकालीन गंभीर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हेतु सरकार की क्या योजना है तथा इसकी स्वीकृति और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ।

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलांतर्गत बायसी प्रखण्ड के असजा मोबैय्या–टिक्करटोला दास धार व खुटियाघाट पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी है । 12 महीने ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव से पार होते हैं, बच्चे स्कूल, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते । शीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत भभुआ शहर के मध्य में चमनलाल के पोखरे की सफाई एवं सौंदर्यीकरण न होने से पोखरे का अस्तित्व मिट रहा है ।

उक्त पोखरे की सफाई एवं सौंदर्यीकरण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलार्न्तगत गायघाट विधान सभा में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना अन्तर्गत कुल 52.33 किलोमीटर में तटबंध निर्माण यथा बायाँ/दायाँ तटबंध के खिरोई दायाँ जैकेटिंग तटबंध निर्माण के साथ 12एंडी फ्लड स्लूईस निर्माण कार्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारम्भ हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

टर्न–9 / हेमन्त / 26.02.2026

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री महेश्वर हजारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण

सूचना पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : श्री महेश्वर हजारी जी की सूचना पढ़ी हुई है। इस पर सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री, उद्योग विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ग्राम मुक्तापुर, पंचायत–पोस्ट नौरंगा, प्रखंड–थाना कल्याणपुर में अवस्थित रामेश्वर जूट मिल का विभागीय स्तर से स्थल निरीक्षण एवं जांचोंपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, इस निजी इकाई की स्थापना 1930 के दशक में हुई थी, जिसका स्वामित्व विंडसम इंटरनेशनल लिमिटेड, 16 ए ब्राबोर्न रोड, फिफ्थ फ्लोर, कोलकाता के पास है। इस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि यह जूट मिल विगत 20 वर्षों से अनियमित रूप से कभी चालू, कभी बंद रहते हुए संचालित होती है, जो विगत जुलाई 2017 से 13 दिसंबर 2020 तक बंद थी एवं मिल यूनियन के समझौते के आधार पर सितंबर 2020 से अक्टूबर 2025 तक चालू किया गया था। किंतु 1 नवंबर 2025 से एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के पश्चात इसका संचालन अवरुद्ध है। यह निजी स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाई है, जिसके संचालन का नियंत्रण सरकार के स्तर से नहीं किया जाता है, महोदय। यह औद्योगिक इकाई राज्य की औद्योगिक नीति से आच्छादित नहीं है और न ही इकाई द्वारा सरकार के स्तर से कोई प्रोत्साहन राशि प्राप्त की गई है। राज्य सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्विवाद संचालन के लिए प्रावधानानुसार अनुकूल सहायता प्रदान करती है तथा आवश्यकतानुसार अनुरोध किए जाने पर प्रशासनिक सहयोग भी प्रदान करती है महोदय। राज्य सरकार के समक्ष वर्णित इकाई के संबंध में मिल प्रबंधन द्वारा समर्पित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मिल प्रबंधन के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री शशिभूषण पांडे द्वारा सूचित किया गया है कि मिल यूनियन के साथ सरकार को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने अथवा एग्रीमेंट समाप्ति एवं स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण मिल का संचालन बंद किया गया है तथा चाहरदीवारी नहीं होने के कारण मिल की भूमि का कतिपय अंश का अतिक्रमण हो रहा है। मिल प्रबंधन द्वारा कार्य में बाधा एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रहने के अनुरोध पर जिला उद्योग केंद्र, समस्तीपुर के पत्रांक 59, दिनांक 19.01.2026 द्वारा जिला अग्रणी बैंक, समस्तीपुर के प्रबंधक एवं अंचलाधिकारी, कल्याणपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा जा चुका है महोदय। सरकार इकाई के संचालन के लिए हर संभव

नियमानुकूल सहयोग करने को तत्पर है। संप्रति, सरकार के पास न तो मिल प्रबंधन, न ही मिल यूनियन की ओर से किसी सहयोग का अनुरोध प्राप्त हुआ है महोदय। जहां तक रामेश्वर जूट मिल में कार्यरत मजदूरों के ई.पी.एफ., कर्मचारी भविष्य निधि के बकाये के भुगतान का संबंध है, यह मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार के स्तर से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1029, दिनांक 23.02.2026 द्वारा अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना को आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया है महोदय। सरकार मजदूरों की समस्या के प्रति गंभीर है। राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।

महोदय, पहले हमारा बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे आजादी के समय बढ़ा था, लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ने मजदूरों को मजबूर बनाने के लिए हड़ताल और तालाबंदी का माहौल बनाया। महोदय, आज वही लोग गला फाड़–फाड़ कर चिल्लाते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में संघ विचार के लोगों का हमने एक नारा सुना, महोदय, सबको इससे सबक लेना चाहिए कि ''देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम।'' महोदय, अगर यह मानसिकता रखते, तो आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में अव्वल रहता। महोदय, आज राज्य में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का अनुकूल वातावरण भी है। महोदय, वस्त्र, चर्म उद्योग नीति के साथ बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में यथा आवश्यक संशोधन कर रोजगार के सृजन के अवसरों में वृद्धि की जा रही है। आज बिहार देश में औद्योगिक निवेश में निवेशकों की पहली पसंद बनने जा रहा है, महोदय। मिल प्रबंधन के प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि प्रबंधन से युक्त औद्योगिक इकाई की भूमि की चाहरदीवारी के निर्माण पश्चात इसका संचालन पुनः चालू करने का आश्वासन दिया है महोदय। सरकार अपने स्तर से भी मिल प्रबंधन से अनुरोध प्राप्त होने पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करेगी।

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि समस्तीपुर में पहले जूट मिल था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, लेकिन आज हमारी सरकार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुलें और जो उद्योग खुला हुआ है, उसको भी संरक्षण यदि बिहार सरकार नहीं देगी, तो मैं समझता हूं, उस पर सफलता कैसे प्राप्त होगी। जो वहां के मजदूर हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वही मालिक, मिल मालिक का बंगाल में है। बंगाल में 660 रूपये प्रति व्यक्ति रोज देता है और हमारे यहां 470 रूपये देता है समस्तीपुर में। तो स्वाभाविक है, मजदूर को एक जगह ज्यादा मिल रहा है, एक जगह कम मिल रहा है, तो मजदूरी मांगने के लिए स्वाभाविक है कि मालिक से मांग करेगा और मालिक से जब मांग किया जाता

है, तो मिल बंद कर दिया जाता है। जब मैं उद्योग मंत्री था, बिहार सरकार में, उस समय में तीन वर्षों से बंद था वह मिल, उसको हमने किसी तरह से बिहार के प्रशासन के द्वारा मिलकर उसको चालू कराने का काम किए थे, लेकिन सेम चुनाव के समय में, इस समय में बंद किया गया कि जिससे हम लोगों की पार्टी को नुकसान हो। उसके मालिक हम लोगों के विरोधी हैं, एनडीए गठबंधन के विरोध में रहते हैं वह हमेशा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार सरकार, बिहार का प्रशासन मजदूरों को संरक्षण दे और मिल चालू करावें। जिस तरह से हमारे आदरणीय मंत्री जी जो उत्तर दिए हैं, मैं उस उत्तर से असंतुष्ट हूं कि जब आपके यहां कोई उद्योग लगाता है, तो उद्योग का जो प्रभाव रहता है, वह तो सरकार के द्वारा, यदि मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, तो सरकार उसको मदद करेगी। जब हम सारी मदद करने के लिए तैयार हैं, जब हम सब्सिडी देते हैं उसको, तब उसकी बात क्यों नहीं मानेगी बिहार सरकार। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मजदूरों को संरक्षण देते हुए, मजदूरों को जो उचित मजदूरी है, जब भारत एक देश है, एक जगह दूसरा मजदूरी देते हैं, एक जगह कम मजदूरी देते हैं, तो कैसे आप उसको किस परिस्थिति में चालू करवाने का काम कीजिए और उचित मजदूरी दिलाने का काम कीजिए, यही मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष : ठीक है, सरकार दिखवाएगी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य भी मंत्री रहे हैं और बड़े सीनियर हैं। महोदय, एनडीए सरकार की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार आज इस तरह के वातावरण को प्राथमिकता भी दे रही है और इस तरह के हर उनकी एक्टिविटी के अनुकूल, उनके माहौल अनुकूल बने, हर तरह के सहयोग के लिए भी तैयार है। महोदय, इन्होंने जो विषय उठाया हैं, सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसको देखा जाएगा।

सर्वश्री राजू कुमार सिंह, मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य दस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण

<u>सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : श्री राजू कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा की उपलब्धता अभी भी मुख्यतः शहरी एवं जिला मुख्यालय क्षेत्रों तक सीमित है, जिसके कारण ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के छात्र–छात्राएं समान अवसर से वंचित रह जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत साहेबगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60–65 कि.मी. दूर स्थित है। इस प्रकार केंद्रीय विद्यालय से वंचित सभी विधान सभाओं के साथ–साथ

साहेबगंज में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है, तो इससे उत्तर बिहार के व्यापक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही, गोपालगंज के मांझा प्रखंड के डोमहता एवं छवही मौजा में कैबिनेट की स्वीकृति से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 4.63 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित की गई है, किंतु केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रगति नगण्य है।

अतः ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों के बच्चे–बच्चियों को उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर प्राप्त हो, इसलिए साहेबगंज एवं गोपालगंज में प्रस्तावित भूमि पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जो केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं, मुख्यतः वहां पर, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को, भूतपूर्व सैनिकों को और साथ ही साथ वहां पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले हैं, उनके बच्चों के लिए हैं और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि 2005 के पहले संख्या कम थी केंद्रीय विद्यालयों की। आज के दिन में 72 केंद्रीय विद्यालयों की संख्या हो गई है और साथ ही साथ हमने कोशिश करके 72 में से 71 केंद्रीय विद्यालयों के स्कूलों को निशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी है। लेकिन जहां तक गोपालगंज का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि वहां पर भूमि उपलब्ध है और स्थानांतरित भी हो गई है कैबिनेट के द्वारा, तो उस पर हम लोग संपर्क में हैं कि न सिर्फ गोपालगंज में, कुछ अन्य जगहों पर जैसे...

(क्रमशः)

टर्न–10 / संगीता / 26.02.2026

...क्रमशः...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : औरंगाबाद में हमलोगों ने जो भूमि ट्रांसफर किया चूंकि भवन निर्माण केंद्र सरकार को ही कराना है तो उसके लिए हमलोगों ने अलग से पत्र भी लिखा और शीघ्र एक बैठक भी होने वाली है दिल्ली में तो पुनः उसको स्मारित करेंगे । जहां तक साहेबगंज का प्रश्न है तो मुजफ्फरपुर जिले में पूर्व से ही 2 केंद्रीय विद्यालय तथा सैन्य क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय पूर्व से स्वीकृत है । मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज की दूरी जिला मुख्यालय से दूर है तो सरकार ने तो इसी सोच के तहत जो अत्यधिक अब प्राइमरी स्कूल या हरेक पंचायत में प्लस–टू के स्कूल बनाये हैं लेकिन चूंकि माननीय सदस्य

ने अपनी चिन्ता जाहिर की है कि केंद्रीय स्कूल का, जो उसका क्वॉलिटी होता है वह अच्छा होता है इसलिए मांगें होती हैं तो इस पर भी हमलोग निश्चित रूप से अपनी तरफ से केंद्र सरकार को अनुरोध करेंगे कि वहां पर भी एक अन्य विद्यालय खोलने की कृपा करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री बाबू लाल शौर्य ।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री महोदय को उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि साहेबगंज एक उर्वरक भूमि है, और साहेबगंज के लोग आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा उच्च पदों पर दे रहे हैं बल्कि बिहार सरकार में भी आज दो–दो पदाधिकारी उच्च जगहों पर बैठे हैं साहेबगंज के लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर ऐसे लोग ज्यादा बसते हैं जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी इसको और आगे लायेंगे क्योंकि अर्हता पूरी करती है, वहां पर रेलवे स्टेशन भी है, वहां पर फोर लेन भी जा रहे हैं, वहां पर बगल में केशरिया नगर पंचायत है, एक खुद का नगर परिषद है, वहां पर सरकारी कर्मचारियों की भी संख्या कम नहीं है । माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि जरूर करेंगे ताकि चंपारण के साथ–साथ मुजफ्फरपुर जिले का जो...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार से अनुशंसा करेगी ।

श्री राजू कुमार सिंह : धन्यवाद, महोदय ।

श्री मंजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोल लीजिए ।

श्री मंजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है और कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई, 2025 को माझा अंचल के डोमहता एवं छवही में 4.63 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन भूमि आवंटित करने के लिए स्वीकृति मिली थी मुख्य भवन और क्वॉर्टर बनाने के लिए, जिसका निःशुल्क निबंधन किया जाना था और कैबिनेट के 8–9 महीना के निर्णय के बाद भी अब तक केंद्रीय विद्यालय के लिए जो भूमि कैबिनेट द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है उसका नवीकरण के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती जो किया जाना था, अब तक क्यों नहीं किया गया ? महोदय, इसी में दूसरा है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने पत्रांक–15, दिनांक–02.01.2026 से अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के कई पत्र लिखने के बाद उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, गोपालगंज के निर्माण हेतु भूमि के मुद्रक शुल्क एवं निबंधन शुल्क को माफ करने के लिए पत्र लिखा गया था, उस पर विभाग क्यों चुप है, इस पत्र के आलोक में विभाग कब कार्रवाई करेगी ताकि केंद्रीय विद्यालय, मांझा में निर्मित हो अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के करीब, चुनाव के ठीक पहले करीब 14 स्कूलों की स्वीकृति हुई तो उसमें सभी जो माननीय सदस्य अपनी बातों को रख रहे हैं तो उसमें सभी में कार्रवाई चल रही है और शीघ्र जैसे ही यह सेशन खत्म होता है तो सभी अलग से सेंट्रल स्कूल का हमलोग बैठक रखे हुए हैं, उसमें न सिर्फ इनकी अन्य स्कूलों की भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हम निश्चित रूप से अगले 15 दिनों के अंदर कर देंगे ।

अध्यक्ष : श्री बाबू लाल शौर्य, सूचना पढ़े ।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कुमारी : हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी एक हो जाए ताकि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, एक लिखकर दे दीजिए ।

श्रीमती शीला कुमारी : उस एरिया के लोगों को लाभ होगा, जिला तो दूर हो जाता है...

अध्यक्ष : जरूर, जरूर । माननीय सदस्या आप लिखकर दे दें माननीय मंत्री जी को ।

सर्वश्री बाबुलाल शौर्य, विष्णु देव पासवान एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि हमारे प्रश्न को ध्यानाकर्षण में आपने लिया, जगह दिया । महोदय, ये बुनियादी...

अध्यक्ष : पढ़ लीजिए, सूचना को पढ़ लीजिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के सभी बुनियादी विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से कक्षा 10 तक उच्चीकृत किया जाए । यह कदम ड्राप आउट को कम करने के साथ–साथ युवाओं को कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा ।

अतएव जनहित में बुनियादी विद्यालयों को कक्षा 10 तक उच्चीकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं । ''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी । इस हेतु संकल्प संख्या–1021, दिनांक–07.07.2013 निर्गत किया गया है । इसके आलोक में माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है । वर्तमान में राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक 102, तक की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है । साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रत्येक प्रखंड में एक–एक मॉडल स्कूल भी संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार कृतसंकल्पित है कि सभी छात्र–छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध

करायी जाय । वर्णित स्थिति में राजकीय बुनियादी विद्यालय, जहां आठवीं तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह कक्षा 10 तक उच्चीकृत करने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । साथ ही, यह कहना चाहेंगे कि ये जो बुनियादी स्कूल खोले गए 391, मुख्यतः महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित होकर खोले गए हैं और चूंकि स्कूलों की कमी थी इसीलिए मैंने वर्णित किया अभी कि पंचायतों में अन्य जगहों पर हमलोगों ने सुविधा उपलब्ध करायी है तो इसलिए तत्काल इस पर विचार नहीं हुआ लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने ड्रॉपआउट से जोड़कर अपनी बातों को रखा है तो इसपर हम निश्चित रूप से अध्ययन करा लेंगे कि अगर ड्रॉपआउट इत्यादि में इससे सहायता मिलेगी तो इस पर हम विचार करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बाबुलाल शौर्य : महोदय, ये स्कूल गुरूकुल परंपरा पर आधारित स्कूल है जिससे बच्चे स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बच्चे बनेंगे । जैसे हमारे विधान सभा में दो, परबत्ता में कन्हैयाचक और गोगरी अनुमंडल, गोगरी ब्लॉक में पसराहा, इसी तरह खगड़िया में दुर्गापुर और बेल्दौर में इसी तरह 391 स्कूल हैं पूरे बिहार में । यह स्कूल एक मानक था कि गुरूकुल परंपरा का द्योतक है । बच्चे आत्मनिर्भर बने, गांव मजबूत बने । बच्चे की काम के साथ पढ़ाई, आजकल क्या हो गया है कि बच्चे का ससमय पढ़ाई करने का समय समाप्त हो गया है मतलब जो ससमय बच्चे पढ़ते थे सुबह उठकर लालटेन या बल्ब जलाकर सुबह 5 बजे उठना उसके बाद पढ़ना उसके बाद काम करते हुए अपना कितना बढ़िया परंपरा था, आत्मनिर्भर बच्चा होता था, डिपेंडेबल नहीं होता था...

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री बाबुलाल शौर्य : कि शिक्षा से नौकरी ही लेनी है काम भी। हम इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, ये गुरूकुल परंपरा को हमलोग पुनः जीवित कर सकते हैं और जिस तरह से आबादी बढ़ी है, उनमें लोगों को लगता है नौकरी ही मेरा जीवन है, नौकरी नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे लेकिन बच्चे को जब, ''रसरी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान'', जब बच्चे के ब्रेन में अगर ये रहेगा कि काम करने से भी रोजगार हो सकता है, हम खेती कर सकते हैं, आधुनिक खेती कर सकते हैं, हम बढ़ई का काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं और जिस तरह बच्चों को इसमें एक सुझाव है, जैसे–आजकल हमलोग ट्रांसपोर्ट में बच्चे क्या करते हैं कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, बेसिक ज्ञान नहीं है कि हमको क्या, संविधान क्या कहता है, एक बच्चे से बेसिक जो ज्ञान है संविधान का, बेसिक कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका अगर हमलोग जोड़ दें तो निश्चित रूप से बच्चे के बचपन से ही जब ये ब्रेन में घिसाएगा कि यह काम करना चाहिए, यह काम करना चाहिए तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे अनुशासन में भी रहेंगे और बच्चे नौकरी पर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे...

अध्यक्ष : श्री रोमित कुमार ।

श्री बाबुलाल शौर्य : बच्चे काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं यही मेरा मंत्री जी को सुझाव है ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, 391 बुनियादी विद्यालयों में औसतन 4.8 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसका एक बड़ा हिस्सा चहारदीवारी के अभाव में अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, क्या सरकार इन विद्यालयों की भूमि को जियो टैगिंग कराने और अवैध कब्जा को मुक्त कराने का कोई टास्क फोर्स गठित करना चाहती है ? और दूसरा कि बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो है 20 परसेंट है, ये कम से कम जो हाई स्कूल जाने के लिए दूर जाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा ये समस्तीपुर के साइड में और नॉर्थ बिहार में है तो इन सब जगहों पर ड्रॉप आउट रेशियो कम किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–11 / यानपति / 26.02.2026

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि लालटेन का, खैर लालटेन का तो वक्त खत्म हो गया है तो उसपर हम चर्चा नहीं करेंगे लेकिन जहां तक गुरूकुल परंपरा की बात है और जो, कैसे उसको इस्तेमाल करें तो हमलोगों ने ये जरूर कहा कि गांधी जी की विचारधारा से संबंधित इन स्कूलों में जो भी बातें, उसको लिखी जाय । बहुत अच्छे तरीके से वहां इस बात की चर्चा नहीं की जाती है लेकिन माननीय सदस्य को हम ये भी कहना चाहेंगे आज ही एस0सी0आर0टी0 जो नोडल एजेंसी है ट्रेनिंग की वहां प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग, सारे बिहार के बच्चे आए हुए हैं, माननीय सदस्य को और सदन को भी सूचित करना चाहेंगे, पूरे बिहार से हमारे बच्चे, बच्चियां आए हुए हैं । छात्र–छात्राएं, शिक्षक भी अभिभावक भी और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ किताब से पढ़ाई न हो लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई हो, जैसे कि एक गांव का स्वरूप कैसा होता है और वास्तव में आप फिजिक्स, कैमिस्ट्री पढ़ लें तो उसका प्रैक्टिकल क्या होता है यह सभी बच्चों ने, चालीसों जिला का, बनाया है, बहुत अच्छा वर्कशॉप भी चल रहा है तो निश्चित रूप से इन जगहों को और हमलोग विकसित करेंगे अलग से हम इसकी समीक्षा करेंगे और जहांतक चहारदीवारी की बात है और अतिक्रमण की बात है तो वह सतत प्रक्रिया हमलोग न सिर्फ उन स्कूलों की लेकिन बिहार में अन्य भी ऐसे जो स्कूल हैं जहां चहारदीवारी की कमी है और सदन को ये भी सूचित करना चाहेंगे कि चूंकि ये पूरा एक डाटा बेस्ड स्कूलों का, कॉलेजों का या यूनिवर्सिटीज का हमारे पास सही तरीके से नहीं है हर बार जाना पड़ता है सी0ओ0 ऑफिस

या डी0एम0 के यहां कि कैसे क्या हमारी जमीन है तो हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर कैबिनेट कराया है कि हर जिले में एक स्टेट ऑफिसर भी होगा, जो रिटायर्ड ऑफिसर होंगे जोकि हर स्कूल का, हर कॉलेज का, उस जिले का हमलोग एक डाटा बेस जमीन का रखेंगे ताकि उसका अतिक्रमण भी नहीं हो । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी की सूचना पढ़ी गई है ।

(व्यवधान)

सारी बात आ गई है । माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर सारी बातों को रखा जायेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने संकल्प लिया है कि हर पंचायतों में उच्च विद्यालय खोला जायेगा तो यह संकल्प शहरों के लिए नहीं है क्या । शहर में भी उच्च विद्यालय खुलना चाहिए । जो मध्य विद्यालय, अभी बिहार शरीफ का एक मामला प्रकाश में आया है कि कन्या उच्च विद्यालय, महलपर की बच्चियों को आठ बार दूर टाउन उच्च विद्यालय में संबद्ध किया गया है और वह अनुसूचित...

अध्यक्ष : आप लिखित प्रस्ताव दे दीजिए । श्रीमती विभा जी ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, आगरी पंचायत, ग्राम बरथपुरा वार्ड नंबर–1 में एक स्कूल भी नहीं है और बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, दलित का बच्चा है सब।

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्री जी को । लिखकर दे दीजिए, हो जायेगा। लिखकर के दे दीजिए ।

श्रीमती विभा देवी : बच्चा बहुत गरीब है, उसको मुआवजा कम से कम 50 लाख का दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप लिखित दे दीजिए, सरकार करायेगी ।

श्रीमती विभा देवी : जी महोदय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उसको देखते हैं हम आकलन कराकर ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, ड्रॉपआउट के विषय के लिए एक चीज हमको और करना चाहिए, कम से कम अपने विद्यालयों में ऑल सीजन मोटरेबल रोड की कम से कम अप्रोचेबल रोड्स की व्यवस्था कम से कम जरूर हो महोदय क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां तक कि बारिशों में हमलोग वहां तक अप्रोच नही ंकर पाते तो ड्रॉपआउट रेशियो बढ़ने के चांसेज हैं महोदय ।

अध्यक्ष : पासवान जी, आपका क्या है ।

श्री महेश पासवान : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि जितने स्कूल हैं बिहार में, यह बिहार का मामला है कि सब में अतिक्रमण हो रहा है ।

अध्यक्ष : बात आ गई है । स्टेट ऑफिसर बहाल किए गए हैं जिले में । सुना नहीं आपने । सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है, सभी जिलों में स्टेट पदाधिकारी बहाल किये जायेंगे, वो देखभाल करेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी की सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महर्षि विश्वामित्र पार्क, बक्सर, उक्त पार्क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कुल 24 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है । इस संबंध में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु संशोधित योजना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पित है । स्वीकृति प्रकियाधीन है एवं स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जायेगा । गुप्ता धाम, तुतला भवानी, रोहतास, उक्त स्थल पर विकास कार्य कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 14 करोड़ 9 लाख एवं 11 करोड़ 8 लाख की लागत से योजना बनाई गई है । वर्तमान में फॉरेस्ट क्लीयरेंस एवं वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के लिए प्रस्ताव समर्पित है जो क्रियाधीन है उक्त दोनों क्लीयरेंस मिलने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है । कर्मचंद डैम इको टूरिज्म रोहतास उक्त स्थल पर विकास कार्य हेतु 49 करोड़ 73 लाख की लागत से योजना बनाई गई है वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । थावे माई गोपालगंज, उक्त स्थल पर विकास कार्य क्रियान्वयन हेतु 18 करोड़ 91 लाख की लागत से योजना बनाई गई है जिसमें वर्ष 2025–26 में 9 करोड़ 92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है । जिसके विरुद्ध मात्र 55 लाख की राशि आवंटित की गई है । प्रस्तावित भूमि के 4.0 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु समाहरणालय गोपालगंज द्वारा अंचलाधिकारी थावे को निर्देशित किया गया है जो प्रक्रियाधीन है । प्रस्तावित भूमि पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव समर्पित है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, साथ ही प्रस्तावित भूमि पर उच्च न्यायालय, पटना में वाद दर्ज हेतु लंबित है । मां मुंडेश्वरी मंदिर करमचंद डैम, कोल्को टूरिज्म कैमूर उक्त स्थल पर विकास कार्य कराने हेतु क्रमशः 6 करोड़ 28 लाख एवं 1 करोड़, 11 करोड़ की लागत से योजना बनाई गई है । मां मुंडेश्वरी मंदिर जीर्णोद्धार हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव समर्पित है जो वर्तमान में क्रियाधीन है । उक्त क्लीयरेंस मिलने के पश्चात नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है । करमचंद डैम में नौका विहार विस्तार हेतु कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है । मां मुडेश्वरी

गयाजी, उक्त स्थल के विकास हेतु विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । बराबर गुफा, गया जी, उक्त स्थल पर विकास कार्य, कार्यान्वयन हेतु 49 करोड़ 98 लाख की लागत से योजना बनाई गई है । उक्त स्थल पर कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है । गौतम बुद्ध वन में जीव अभयारण्य में इको कैंप उक्त स्थल पर विकास कार्य क्रियान्वयन हेतु 67 करोड़ 15 लाख की लागत से योजना बनाई गई है । उक्त स्थल पर कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है । सिलौज पार्क गयाजी, उक्त स्थल पर विकास कार्य कराने हेतु 11 करोड़ 81 लाख की लागत से योजना बनाई गई है उक्त स्थल पर कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष–2025–26 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है । कंडी नवादा जैव विविधता पार्क, उक्त स्थल पर विकास कार्य कराने हेतु 19 करोड़ 79 लाख की लागत से योजना बनाई गई है । उक्त स्थल पर कार्य प्रगति पर है एवं वित्तीय वर्ष–2026–27 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना संभावित है । चिड़ियाघर, गयाजी, गयाजी में चिड़ियाघर की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से चिड़ियाघर की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त किया जाना है जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । गयाजी में हवाई अड्डा के निकट सड़क के दोनों तरफ विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया मंदिर की तरफ सड़क पर वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 में गयाजी हवाई अड्डा पथ के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य 15 करोड़ 64 लाख की लागत से किया गया है एवं स्वतंत्र मांग में रख–रखाव का कार्य किया जा रहा है । विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया मंदिर के आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण प्रस्तावित है उक्त के आलोक में वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण कार्य, समग्र चौड़ीकरण कार्य के उपरांत किया जाना उचित होगा । जैविक उद्यान रानीगंज अररिया, रानीगंज अररिया, वृक्ष वाटिका को चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने हेतु केंद्रीय जिला प्राधिकार नई दिल्ली में प्रस्तावित प्रक्रियाधीन है । केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार की अनुमति के पश्चात् चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । संजीवनी वाटिका पार्क एवं पुरी जैव विविधता पार्क नवादा उक्त स्थल पर विकास कार्य क्रियान्वयन हेतु क्रमशः 6 करोड़ 70 लाख एवं 9 करोड़ 98 लाख की लागत से योजना बनाई गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा जी ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने प्रयास किया जो मैंने ध्यानाकर्षण लाया और मुख्यतः क्योंकि मैं पर्यटन मंत्री भी रहा हूं, मैं इस विषय को समझता हूं कि जो बिहार में टूरिस्ट डेस्टिनेशन

फॉरेस्ट क्षेत्र में आते हैं उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है । इसलिए वह वन, पर्यावरण विभाग के द्वारा किया जाता है । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का जिसका मैंने उल्लेख किया था उसका उन्होंने उत्तर दिया जो बात इनके उत्तर में कॉमन है कि प्रक्रियाधीन है, की जा रही है । मेरे पास कुछ योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र है, उदाहरणस्वरूप अगर कोई योजना अगस्त के प्रथम सप्ताह में जिसकी स्वीकृति मिली है और आज भी अगर हम उसकी क्लीयरेंस की कार्रवाई 7–8 महीने में हम कर ही रहे हैं । तो यह कहीं न कहीं विचारणीय है अध्यक्ष महोदय क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लीयरेंस वह खुद सक्षम हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / मुकुल / 26.02.2026

क्रमशः

श्री नीतीश मिश्रा : कभी–कभी इशूज में भारत सरकार की भी मंजूरी उनको लेनी पड़ती है, उसके लिए वह डिपार्टमेंट कॉम्पीटेंट है । एक तो मेरा यह माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बहुत महत्व रखता है तो कहीं न कहीं मैं महसूस करता हूं कि उनके उत्तर में भी वह चीज इन्होंने स्वीकार किया है । दूसरी बात ईको टूरिज्म, नेचर टूरिज्म की बिहार में बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत टूरिस्ट आते हैं लेकिन बिहार के साथ कठिनाई है कि टूरिस्ट ठहरते नहीं हैं तो हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो असर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता तो उसका निराकरण यही है कि हम ऐसे–ऐसे प्लेसेस को डेवल्प करें कि टूरिस्ट आकर्षित हों, विशेषकर के अगर हम गयाजी की बात करें या अगर हम बोधगया की बात करें तो वहां पर टाइमली कम्प्लीशन । तो एक पहला मेरा माननीय मंत्री जी आपसे यह आग्रह है कि प्रोजेक्ट के टाइमली कम्प्लीशन, दूसरा जो प्रोपर्टी आप बनाते हैं जो एसेट आपके विभाग के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसके रख–रखाव की कोई पॉलिसी जहां तक मेरी समझ है आपके डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि अगर हम बना लेंगे किसी पार्क को अगर हम बनाते हैं या किसी थीम पार्क को हम विकसित करते हैं तो उसका संचालन फिर कैसे होगा ? तो इस पर भी मेरी समझ में विभाग को स्पष्ट होना चाहिए । एक पार्ट जो आपने छोड़ा है जू का संदर्भ । अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो हम सिर्फ दो–तीन राज्यों का उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कर्नाटक की जनसंख्या लगभग 6.8 करोड़ है लेकिन वहां पर 14 जू हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल में लगभग 9.9 करोड़ की जनसंख्या है वहां पर 13 जू हैं, लेकिन बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में एक पटना के बाद अररिया जिले में जो प्रस्तावित है वह कई वर्षों से कहीं न कहीं जो उसकी पेचीदगी है, उसके परमिशन्स की, एप्रुवल की हम उसी में रुके हुए हैं तो वह भी कमी है और

जनसंख्या के अनुपात में अगर आप बिहार की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें बहुत ज्यादा कमी दिखती है । मेरा इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सिर्फ आपके विभाग के दृष्टि में इस विषय को लाना था और यह हम आपसे जानना भी चाहेंगे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कि टाइमली कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट पर आपके विभाग के द्वारा क्या कार्य योजना आप बनाते हैं, दूसरा अगर कोई प्रोपर्टी जैसे नेशनल हाईवे के आसपास अगर कोई प्रोपर्टी वन, पर्यावरण विभाग के द्वारा विकसित किया जा रहा है तो उसकी लीजिंग की कोई पॉलिसी आपके पास है या नहीं ? जो योजना आपने कहा कि प्रस्तावित है, जैसे गयाजी में ही कोई योजना प्रस्तावित है तो उसको किस टाइम फ्रेम में आप उसको कम्प्लीट करेंगे और चौथा जू की दृष्टि में जो मैंने आपके संज्ञान में लाया और अंतिम कि भारत सरकार के साथ यह जो क्लीयरेंसेस कहीं न कहीं हिन्डरेंस बन रहा है आपके प्रोजेक्ट के टाइमली कम्प्लीशन में, उस दिशा में विभाग के द्वारा क्या कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं अभी दो महीना, तीन महीना पहले मंत्री बना हूं और मैं सारी चीजों की समीक्षा किया हूं और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रियाधीन मेरे आने के पहले से था और मुझे अभी आपने अवसर दिया है, मुझे कुछ और समय दीजिए जो भी प्रक्रियाधीन है वह जमीन पर उतर जायेगा एक बात । दूसरी बात गयाजी की बात हो रही है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं कि पटना से डोभी तक मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पायलेट प्रोजेक्ट की तरह ग्रीन कोरिडोर आप पटना से लेकर डोभी तक बनाइये और हर 10 कि0मी0 पर दादा का दलान ऐसे सेल्फी प्वाइंट बनाइये और जहां पर पर्यटन विभाग की सारी चीजें लगी हों और वहां किसी भी तरह का कोई कंक्रीट की व्यवस्था न हो, सारा पर्यटन का क्षेत्र हो, पर्यटन से संबंधित जो भी हो, कोई भी चीज कंक्रीट का वहां पर बना नहीं हो और उसके साथ–साथ मैं सदन के माध्यम से आप सभी लोगों से सहयोग चाहता हूं, मैंने कहा है कि जो भी एन0एच0 के किनारे है, जो कृषि योग्य भूमि है उन किसानों से बात करके, जिलाधिकारी से बात करके, ग्राम पंचायत के मुखिया से बात करके आप 10 कि0मी0 तक आप यदि दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाते हैं आम लगाइए, 10 कि0मी0 के बाद जामुन लगाइये, 10 कि0मी0 के बाद आंवला लगाइये ऐसे पूरे पटना से लेकर डोभी तक किसानों से बात करके उनकी आमदनी कितनी बढ़ जायेगी, ऐसे जो खेती कर रहे हैं धान, गेहूं कर रहे हैं उससे उनकी आमदनी ज्यादा नहीं है और एन0एच0 पर होने के कारण उनका जो भी फल होगा उसमें उनको ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि एन0एच0 पर गाड़ी रहेगी और

सारे फल लेकर के वे जायेंगे । तो एक कॉअपरेटिव के माध्यम से, हमारा कॉअपरेटिव भी विभाग है तो इसके माध्यम से हम चाहेंगे और आप सभी लोगों से हम सहयोग चाहेंगे कि आपलोग भी अपने–अपने जिला में जहां पर भी एन0एच0 है, वहां बात करके इसको क्रियान्वयन करायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक विषय आया है रख–रखाव के बारे में, बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट काम कर रहा है राज्य के अंदर में तो रख–रखाव मेंटेनेंस पॉलिसी लाने का विचार रखती है सरकार ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जी । यह ध्यान में आया है, अभी मैं तो नहीं एक सज्जन गये थे ईको पार्क, पटना में, वहां देखें कि कई तरह की अव्यवस्थाएं थीं तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और ईको टूरिज्म एक सोसाइटी के रूप में हम इसको, सोसाइटी बन गयी है इसका, इसको हम एक सोसाइटी के रूप में डेवल्प करने वाले हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक समीक्षा और कर लीजिए कि जो अन्य राज्यों में देखा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की चर्चा हुई है, वहां आबादी कम है बिहार से, वहां पर ज्यादा चिड़ियाघर है और बिहार की आबादी 14 करोड़ है । माननीय मंत्री जी, इसकी पूरी समीक्षा करके यहां पर आबादी के हिसाब से चिड़ियाघर निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, सुझाव पर हम अमल करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंजीत कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

घबड़ाइए मत सब आयेगा, शांति से रहिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उस सुझाव पर हम अमल करेंगे, जमीन पर लायेंगे ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में थावे मंदिर के संबंध में जो कहा है, अतिक्रमण के संबंध में महोदय मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं सदन के अंदर महोदय, जो प्रस्तावित भूमि है 4.01 एकड़, उसमें से मात्र 4 कट्ठा जमीन अतिक्रमण है बाकी अतिक्रमण नहीं है अध्यक्ष महोदय और बिहार विधान सभा हो या बिहार विधान परिषद् हो महोदय, यह लगातार कलेक्टर को चिट्ठी जा रही है कि इसको 2014 से और यह आश्वासन में लंबित है अध्यक्ष महोदय, आज तक थावे मंदिर का परिसर की जमीनों को जहां ईको पार्क को डेवल्प करना है, वह अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, राशि तो आवंटित हुई महोदय लेकिन जो 4.01 एकड़ अतिक्रमण मुक्त नहीं है और राशि का आवंटन है महोदय तो सरकार उस पर बताये कि कब तक ईको पार्क को डेवल्प करने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसको आज ही हम दिखा लेते हैं और वहां के जिलाधिकारी से बात करके देख लेते हैं जो है उसको तुरंत जल्दी से हम कर देते हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : आपका क्या है, पूछ लीजिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : इस विभाग के मंत्री आप ही हैं और 6 महीना मुझे भी काम करने का मौका मिला । जो हमारे माननीय सदस्य नीतीश मिश्रा जी ने प्रश्न लाया है, जो ईको टूरिज्म को बिहार में बढ़ावा देने की जरूरत थी, ये सारी योजनाएं मेरी लाई हुई हैं, चाहे वह गुप्तेश्वर धाम की योजना हो, चाहे महर्षि विश्वामित्र पार्क की योजना हो, चाहे थावे पार्क की योजना हो, चाहे मुण्डेश्वरी मंदिर की योजना हो, सभी की स्वीकृति देकर हमने शिलान्यास किया था, पैसे का जुगाड़ करके हमने शिलान्यास किया था । बक्सर में कोई क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है, 24 करोड़ 89 लाख का जे0पी0 चौक से लेकर गंगा के तट पर महर्षि विश्वामित्र पार्क बनना था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार सारी बातों को देखे लेगी । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी का एक विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद पदाधिकारियों की इतनी अनियमितता है कि संविदा पर बहाली करते हैं बेक डेटेड, अभी मैंने 5 फरवरी का ऑर्डर देखा, जिसमें संविदा पर बहाल किया एफेक्टिव फ्रॉम 07.06.2025 ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखित दे दीजिए, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे संविदा पर बहाली पर रोक लगाई जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी । शंकर प्रसाद जी, आप अपना शून्यकाल पढ़िए ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू एवं सरैया प्रखण्ड के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता की जा रही है गुणवत्ता खराब होने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका है । अतः मैं सरकार से उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आठवीं अनुसूची में सम्मिलित मैथिली भाषा विलुप्त होते जा रही है । इसके संरक्षण हेतु मैं सरकार से सदन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पांचवीं कक्षा से ही बच्चों को मैथिली पढ़ाई कराने की मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, अतरी विधान सभा के अतरी व खिजरसराय थाना क्षेत्र के फिरोजपुर, जेठियन, रमनबिगहा समेत कई गांवों में लगातार चोरी–डकैती से भय का माहौल है । सरकार से दोषियों के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की मांग करता हूं ।

टर्न–13 / सुरज / 26.02.2026

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद के रढुआ धाम (पुनपुन–बटाने संगम) पर पक्का घाट न होने से लाखों श्रद्धालुओं एवं अंतिम संस्कार में आए लोगों को काफी असुविधा होती है । मैं सरकार से यहां अविलंब पक्का घाट, शेड, प्रकाश एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, जल संचय हेतु तालाब एवं पोखर लगभग मृतप्राय हो चुके हैं, जिसके कारण गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है । इन तालाबों एवं पोखरों को निष्ठा के साथ उड़ाहीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 07 हजार जीविका कर्मियों का वेतन दुगुना करने तथा महंगाई भत्ता देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक– 21 जून, 2025 को विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा किये थे । होली के पहले सभी कर्मियों को घोषित वेतन एवं महंगाई भत्ता लागू कर भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सुभाष सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के मानदेय को जुलाई, 2025 से बढ़ाने का निर्णय लेकर सचिव का मानदेय नौ हजार रुपये कर दिया लेकिन न्यायमित्र का यथावत सात हजार रुपये ही रहने दिया गया। यह निर्णय न्याय मित्र के साथ भेद–भाव पूर्ण है ।

अतः इनके मानदेय का भी सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग करता हूं ।

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, रूपाबिगहा में चहारदीवारी व पहुंच मार्ग नहीं होने से बच्चों व शिक्षकों को कठिनाई हो रही है । आम गैरमजरूआ जमीन भी उपलब्ध है ।

अतः रूपबिगहा विद्यालय में चहारदीवारी एवं पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। सदन की सहमति से इन्हें लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा दिये जाएं ।

(सदन की सहमति हुई)

पढ़ी हुई मानी गयी शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जी0एम0सी0एच0 पारामेडिकल संस्थान में डी0पी0टी0 डी0ओ0टी0 एवं पी0एंडओ0 का सत्र 2022–25 विलंब से चल रहा है। अभी तक केवल प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है। फैकल्टी के अभाव में पढ़ाई बाधित है और भविष्य असुरक्षित है। अतः सरकार से सत्र नियमित करने और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करता हूँ।

श्रीमती अश्वमेध देवी : अध्यक्ष महोदय, नल–जल योजना में पाइपलाइन टूटने व मोटर खराब होने से जलापूर्ति कई दिनों तक बाधित रहती है। रोड एम्बुलेंस की तर्ज पर त्वरित मरम्मति हेतु नल–जल एम्बुलेंस की व्यवस्था जनहित में की जाए। मैं सरकार से इसकी शीध्र व्यवस्था करने की मांग करती हूँ।

श्री माँशरीक मृणाल : अध्यक्ष महोदय, शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत परसा पंचायत (वार्ड–9), खानपुर बेलहर में आज भी ग्रामीणों को कच्चे मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। बरसात में स्थिति अत्यंत दयनीय एवं जोखिमपूर्ण हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों तथा मरीजो को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, डेहरी विधान सभा अंतर्गत महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने के कारण स्थानीय विशेषकर छात्राओं को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः डेहरी विधानसभा अंतर्गत महाविद्यालय में अविलंब सभी विषयों का स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, शाहपुर प्रखण्ड के देवमलपुर बहुदरी पंचायत के रामदतही गांव में दलित टोला में जाने के लिए सड़क नही होने से वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस आवागमन की सुविधा बाधित रहती है। मैं सरकार से काली स्थान से पासवान टोला से सत्ती स्थान तक सड़क निर्माण की मांग करता हूं।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर नगर निगम एवं अन्य सरकारी संस्थानों में वर्षों से सेवा दे रहे सफाई कर्मियों/स्वच्छता योद्धाओं ने कोविड काल में भी अग्रिम पंक्ति में रहकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मानदेय पुनरीक्षण एवं नियमितीकरण की शीध्र समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलांतर्गत हसनपुर विधानसभा में मक्का, धान, गेहूं एवं गन्ना की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों में आर्थिक परेशानी बनी रहती है। अतः सरकार से किसान हित में हसनपुर विधानसभा अंतर्गत अतिशीध्र इथेनॉल प्लांट खोलने की मांग करता हूं।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के परमानपुर गांव में NH-319 पर जल निकासी बाधित होने से लगभग 100–125 एकड़ भूमि जलमग्न है । NH-319 पर आरा की ओर नाले के बगल में एक अतिरिक्त नाला निर्माण कर जल–जमाव की समस्या का निवारण करने की मांग करता हूं।

श्री विनय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के त्रिलोकचक पंचायत के केशरपुर गाँव एवं दरियापुर प्रखंड के अकबरपुर पंचायत के अकबरपुर गांव के बीच मही नदी पर बने आर0सी0सी0 पुल सह सड़क जर्जर अवस्था में है, जनहित में इसका अविलंब जीर्णोद्धार कराये।

श्री सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, राज्य के पैक्स चुनावों में वर्तमान मतदाता सूची निर्माण प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शी है। चेयरमैनों द्वारा केवल चहेतों का नाम जोड़ने से आम किसान वंचित रह जाते हैं। जनहित में आग्रह है कि धांधली रोकने हेतु पैक्स वोटर लिस्ट सुधार का कार्य BLO के माध्यम से कराया जाए।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे लगातार भूगर्भीय जलदोहन के कारण शहरवासियों व आसपास के गांवों मे भारी जल संकट उत्पन्न हो गया है । मैं सदन के माध्यम से उक्त फैक्ट्री द्वारा जलदोहन पर रोक लगाने की मांग करता हूं।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्रांतर्गत शिवहर शहर से गुजरने वाली एनएच 227 पर प्रतिदिन भीषण जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाम से निजात हेतु एनएच 227 फतेहपुर गढ़–चिकनौटा–सुंदरपुर–महुअरिया–महनद पुलिया के बीच लगभग दो कि०मी० बाईपास सड़क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हिंदुओ के आस्था तथा 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने में समाहित करने वाली गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए अन्य आयोग के तर्ज पर बिहार में गोवंश विकास आयोग की गठन की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पंश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड भितहां मुख्यालय के कैम्पस में PHED विभाग के द्वारा पानी टंकी बनाया गया है, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया है, मैं सदन के माध्यम से सरकार से जांच करते हुए पानी टंकी चालू करने का मांग करता हूं ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अरेराज प्रखंड से मलाही दूरी अधिक होने के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मलाही क्षेत्र प्रखंड बनने की पूरी क्षमता रखता है। अतः उक्त क्षेत्र को प्रखंड बनाने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिले में आज तक कोई औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है।

इस्लामपुर प्रखंड के ढेकवाहा पंचायत में 500 से अधिक एकड़ भूमि उपलब्ध है। सरकार से आग्रह है कि यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थित सफेद बंगाल टाइगर की हालत अत्यंत चिंताजनक है। हालिया वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि उसे समुचित भोजन व देखभाल नहीं मिल रही। राष्ट्रीय पशु की ऐसी दशा राजधानी के लिए शर्मनाक है। सरकार तत्काल क्या कदम उठाएगी ?

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद औद्योगिक विकास के अभाव में युवा पलायन को विवश है। छपरा में औद्योगिक पार्क स्थापित होने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा और उत्तर बिहार को लाभ मिलेगा। बंद पड़ी मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः चालू करने की मांग करती हूं।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा क्षेत्र की रजौली नगर पंचायत में एक सुदृढ़ एवं आधुनिक टाउन हॉल के निर्माण की मांग करता हूँ। यह झारखंड सीमा से जुड़ा अनुमंडलीय क्षेत्र है, जहाँ एक समुचित अतिथि गृह भी अत्यंत आवश्यक है। अतः सरकार शीघ्र निर्माण कार्य सुनिश्चित करे।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर अंचल के सलेमपुर वितरणी, शामकौड़िया उप वितरणी, अगौथर लघु–नहर, जयथर जलवाहा, सढ़वारा लघु–नहर एवं प्रखंड तरैंया और पानापुर सहित प्रायः पुरे राज्य के अन्य प्रखंडों में वितरणी, उप वितरणी, लघु नहर एवं जलवाहा की है जहाँ कृषि कार्य हेतु आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

श्री इन्द्रदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड पचरूखी में तरवारा गंडक एवं बड़कागांव हाईस्कूल सह इंटर कॉलेज में विद्यार्थिओं की संख्या अत्यधिक है। जो भी भवन हैं, काफी जर्जर है, इससे भविष्य में दुर्घटनाएँ हो सकती है।

अतः मै उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु सरकार से माँग करता हूँ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा प्रखण्ड अंतर्गत रौतारा पंचायत के वार्ड 5–10 में विद्यालय नही है । 70% आबादी को 3 किमी दूर, रेलवे लाइन व NH-131A पार कर जाना पड़ता है दुर्घटना की आशंका रहती है अतः सरकार से यहाँ विद्यालय निर्माण की मांग करती हूँ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत अनुदानित मदरसा एनुलओलुम, डेंगा मदरसा नंबर 400 में प्रधान शिक्षक की मृत्यु 13.06.14 तथा मदरसा तालीमुलओलुम, फूलसरा मदरसा नंबर 1215 में प्रधान मौलवी की मृत्यु 29.05.20 को हो गई । प्राप्त जानकारी अनुसार मदरसानंबर 400 में कमिटी अवैध ढंग से बहाली कर लिया है। मदरसा बोर्ड उक्त मदरसों में आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करे।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवाए पूर्ण होने के बाद बिहार की सरकारी नौकरीयों में आरक्षण नहीं मिलने के कारण काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सदन के माध्यम से उत्तराखंड राज्यों की तरह बिहार के नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ देने की मांग करता हूं।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया नगर परिषद् का क्षेत्र जनसंख्या बढ़ा है, बगल में विश्व का सबसे बड़ा निर्माणाधीन मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापना हुआ है जिससे अत्यधिक वाहनों का आना जाना है एवं जाम की समस्या हुई है। चकिया के विभिन्न चौराहों पर स्थाई रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था किया जाए।

श्री नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत SH-52 में सीतामढ़ी बेनीपट्टी के आवापुर में सड़क पर 12 महीना जल जमाव रहने के कारण राहगीर को हमेशा जान माल की क्षति होती है । जल निकासी की स्थाई निदान हेतु सदन के माध्यम से मांग करता हूं

श्री संजय कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधान सभा अंतर्गत मलदहिया पंचायत के पिपरा (चानकी) गांव में एक वर्ष पूर्व बिजली पोल गाड़े गए किंतु आज तक तार ट्रांसफॉर्मर तथा विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई है जबकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजे जा रहे हैं । मैं सदन के माध्यम से अविलंब कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गयाजी के प्रखंड गुरूआ पंचायत कोलौना ग्राम मंझार धमौल झरहा जो महादलित बस्ती है इस ग्राम में स्कूल नहीं रहने के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित है सरकार से मांग करता हूं उक्त ग्राम के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की स्थापना करें।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के स्तर कटैया प्रखंड अंतर्गत मेनहा में प्रस्तवित मेडिकल कॉलेज का शेघ्र शिलान्यास कराया जाए। एक जांच रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कैंसर मरीज इसी प्रखंड में पाए गए है। क्षेत्र स्वास्थ्य दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अतः सरकार अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ कराए, यह मेरी सरकार से मांग है।

श्री सुजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा राज के प्रतिष्ठित शासक महाराज कामेश्वर सिंह ने शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया ।

उनकी स्मृति में पटना में भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि बिहार की गौरवशाली विरासत का सम्मान हो और नई पीढ़ी प्रेरित हो।

श्रीमती मनोरमा देवी : अध्यक्ष महोदय, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रवाहित फल्गू नदी में गनुबिगहा के पास बियर बांध नहीं रहने के कारण 30 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित हैं। अतः मै सरकार से उक्त कृषि भूमि की सिंचाई हेतु फल्गू नदी पर गनुबिगहा के पास बियर बांध निर्माण कराने की मांग करती हूं।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित महानवा बाजार का वित्तीय वर्ष 2024–25 में सौंदर्यीकरण हेतु 65 लाख थी परंतु आजतक धरातल पर कार्य नहीं हुआ है । जनहित में महानवा बाजार का सौंदर्यीकरण कराने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के कलेर प्रखंड मे बलिदाद एवं रूपसागर विगहा के बीच सोन नहर पर आवागमन हेतु पुल के अभाव में आमलोगों को काफी कठिनाई होती है।

अतः पुल के निमार्ण हेतू सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुप्पी प्रखंड की स्थापना हुए लगीाग पच्चीस वर्ष हो गए, परंतु अब तक इस प्रखण्ड का अपना कार्यालय भवन निर्मित नहीं हो सका, जिसके कारण प्रखण्ड स्तरीय कार्य समेकित रूप से नहीं हो पा रहा है।

अतः सरकार सुप्पी प्रखंड के लिए प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराये।

श्री बबलू कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया नगर परिषद् और मानसी नगर पंचायत बाजार में जाम की समस्या विकराल है। दानों जगहों पर मल्टी लेवल मार्केट और पार्किंग बनने से लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। मैं सरकार से दोनों जगहों पर मल्टी लेवल मार्केट और पार्किंग बनाने की मांग करता हूं ।

श्री आसिफ अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैथिली भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास हेतु मैथिली अकादमी, पटना राजेंद्र नगर स्थित, 1976 से बंद पड़ी है, जिससे शोध, साहित्यिक गतिविधियाँ और कलाकारों को मंच नही मिल पा रहा है तथा नई पीढ़ी को मार्गदर्शन, संरक्षण और प्रोत्साहन से भी वंचित रहना पड़ रहा है।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सामान्य भूमि विवाद या लंबित प्राथमिकी के कारण युवाओं के चरित्र प्रमाण पत्र रोके जा रहे है इससे उनके रोजगार के अवसर बाधित हो रहे है। अतः सरकार से मांग है कि दोषसिद्ध होने तक प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।

श्री रंजन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर विधानसभा के पश्चिमी भाग के 12 वार्डों में एक भी सार्वजनिक पार्क नहीं है जिस कारण बुजुर्ग महिलाएँ एवं बच्चे

एमआईटी सहित अन्य सरकारी संस्थानों के मैदान का उपयोग प्रातः भ्रमण एवं व्यायाम के लिए करते रहे हैं। किन्तु हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्री वशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड कोचस में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र परसथुआ एवं पशु चिकित्सालय परसथुआ भवनहीन होने के कारण रोगियों का इलाज करने में समस्या हो रही है।

सरकार से मांग करता हूँ कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सालय परसथुआ का भवन निर्माण करावें।

श्री रणविजय साहू : बिहार में 112 जातियां अतिपिछड़ा वर्ग में शमिल है। जिनकी आबादी 36% है इस वर्ग के लिए महज 18% आरक्षण का प्रावधान है आजादी के 78 वर्ष के बाद भी इनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व संतोषप्रद नहीं है । अतः इस वर्ग का आरक्षण की सीमा 25% करने की मांग करता हूं।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अंचल–सह–प्रखण्ड कार्यालयों सहित अन्य कार्यालयों में संचालित हो रहे वाहनों को अधिकांशतः दैनिक भोगी चालको द्वारा चलाया जा रहा है मैं वैसे दैनिक भोगी चालकों को संविदा पर बहाल करते हुए 60 वर्ष सेवा स्थायी करने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ।

श्री राधाचरण साह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत मसाढ़–दुलहिनगंज सड़क में नवादाबेन ग्राम के पास स्थित रेलवे अंडरपास में जलजमाव के कारण नागरिकों एवं वाहनों को आवागमन में कठिनाई तथा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं जनहित में उक्त अंडरपास में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करता हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के पररिया से डालकावा सड़क के बीच अधवारा समूह की नदी बहती है और बीच में नदी पर पुल नही होने से जनता को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः पररिया डालकावा के बीच नदी पर पुल बनाने की मांग सरकार से करती हूँ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र में माइनिंग के सहायोग से बालू का अवैध खनन हो रहा है अतः सरकार अभिलंब जांच करते हुए विभागीय/दोषी पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में प्रवाहित कमला नदी से किसानों के हित में सिचाई हेतु छोटी–छोटी नहरों में पानी पहुचाने एवं रमनियाबहा–कैथवार–मदरिया–बघला तक बंद नहरों का उड़ाहीकरण तथा विश्नुपुर फाटक से कैथवार नदी को जोड़ने हेतु मैं सरकार से उचित प्रबंधन की माँग करती हँ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा विधानसभा पुलिस जिला एवं अनुमंडल हैं जिनका चार प्रखंड गंडक नदी उसपार के साथ गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण गंडक नदी पर शास्त्रीनगर से बेलवनिया तक हाई लेवल पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत एस0एच0–56 (दोनार–घरौरा–सकरी–बिरौल–कुशेश्वरस्थान) मार्ग 6 विधान सीाा क्षेत्रों का मुख्य संपर्क पथ होने के कारण भारी ट्रैफिक दबाव में है । जनहित एवं सुगम आवागमन हेतु मैं सरकार से इस महत्वपूर्ण राजकीय उच्च पथ को राष्ट्रीय उच्च मार्ग में उत्क्रमित करने की मांग करता हूं ।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, कटिार जिला अंतर्गत कंधरपैली से कल्याण चौक, कटिहार सड़क संकीर्ण व जर्जर है तथा अत्यधिक दबाव से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । इसी मार्ग पर खैरा एवं सत्संग मंदिर के निकट बैगना रेलवे गेट पर आर0ओ0बी0 निर्माण व सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग करता हूं ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में लेखपाल बहाली हेतु बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी ने 2004 में आवेदन लिया । लगभग एक लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन पूर्व रद्द कर दी गयी । अब तक कोई सूचना नहीं दी गयी । सरकार शीघ्र तिथि घोषित करे ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जूनियर एकाउंटस क्लर्क और तकनीशियन ग्रेड–3 के सैकड़ों पदों पर नियुक्तियों के उपरांत भी रिक्त है । योग्य अभ्यार्थी प्रतीक्षा में हैं । मैं जनहित में सरकार से इन रिक्तियों को भरने हेतु अविलंब दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शीला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में गंगा नदी पर नए सेतु का निर्माण किया जा रहा है । नये बनने वाले गंगा सेतु पुलों में से एक पुल का नामकरण शहीद रामफल मंडल के नाम पर करने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, केसरिया प्रखंड में 132/33 के0वी0 ग्रिड न होने से 33/11 के0वी0 पी0एस0एस0 को सीधी बिजली नहीं मिल रही । इससे विराट रामायण मंदिर, कलयाणपुर और केसरिया सहित अन्य क्षेत्रों में विद्युत समस्या बनी रहती है ।

अतः जनहित में यहां नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु पृथक कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन अत्यंत आवश्यक है । जिला एवं प्रखंड स्तर पर तकनीकी निगरानी के लिये कृषि अभियंत्रण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत

कनिष्ठ अभियंताओं के नियमित पद सृजन की आवश्यकता है । मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री भीषम प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आये दिन बिहार के मध्य विद्यालय में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्रियों चोरी की घटनाएं होती रहती है । इससे पठन–पाठन में बाधा पहुंच रही है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला क्लिनिक समाज सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसका रजिस्ट्रशन नं0–24/57/2020 है । मरीजों को निःशुल्क उपचार करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक पंचायतों में 1500 की आबादी पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहती है ।

मैं सराकर से उक्त संस्था को मोहल्ला क्लिनिक खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की मांग करता हूं ।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जमुनिया के गेन्हरिया जंगल नौ सौ एकड़ में अवस्थित है और आसपास रिहायशी गांव है ।

अतः गेन्हरिया जंगल को चिड़ियाघर बनाने हेतु मैं सरकारसे मांग करता हूं ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, पुनासी जलाशय योजनान्तर्गत वर्ष–1983–84 से जुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के गांव पूर्ण विस्थापित जिनमें इंदोदिह, ढोढिया आदि तथा मधुपुर सहित गांव अर्द्धविस्थापित (कुल–18 गांवों) की पूर्णव्यवस्था तथा कृषिविहीन होने से गांवों को मुआवजा देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

श्री महेन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत राजापाकर विधान सभा क्षेत्र के राजापाकर देसरी एवं सहदेई प्रखंडों में अभी तक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । जनहित के लिये राजापाकर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग करता हूं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र तथा कहलगाँव प्रखंड के पूरब एवं दक्षिणी पंचायतों को भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनसुविधा की दृष्टि से एकीकृत करते हुए सनोखर को एक नया प्रखंड बनाने की मैं माँग करता हूँ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मछली और मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता से बहुत सारे गरीब मुल्ला, मुर्गा और मांस के विक्रेताओं के रोजगार प्रभावित होंगे और उनकी जीविका की समस्या उत्पन्न होगी। अतः मैं गरीब

मछली, मुर्गा और मांस बेचने वालों को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री जयन्त राज : अध्यक्ष महोदय, पटना शहरी क्षेत्र के निवासी आपने दैनिक कार्यों को देर रात तक सम्पन्न कर घर लौटते हैं । शहर में भारी वाहनों की नो–इंट्री रात्रि 10 बजे तक रहने के कारण दुर्घटना होती रहती है। नो–इंट्री रात्रि 12 बजे तक बढ़ाने की मैं सरकार से माँग करता हूँ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा अंतर्गत विशनपुर, बाघोड़, बेलवारा, उदारही (बेलडाबर), सामरखुर्द, दहघाट में भीषण कटाव हो रहा है, जिससे सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गया है । उन जगहों पर प्रतिवर्ष होने वाले कटाव से जीवन त्रस्त है । सरकार से जनहित में यहां स्थायी कटाव निरोधक उपाय की मांग करता हूं ।

श्रीमती करिश्मा : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत विधान सभा परसा में एक भी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिये कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें अनेक आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैं छात्र और छात्राओं के हित के लिये परसा विधान सभा में स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिये कॉलेज की मांग करती हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 में पठन–पाठन कार्य चल रहे हैं । परंतु वाणिज्य शिक्षा की पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्र–छात्राओं को दूर–दराज जाने की परिस्थिति हो जाती है । जो कमजोर परिवार के लिये संभव नहीं है ।

अतः विद्यालय में वाणिज्य पढ़ाई कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना अंतर्गत कुल 52.33 किलोमीटर में तटबंध निर्माण यथा बायां/दायां तटबंध के खिरोई दायां जैकेटिंग तटबंध निर्माण के साथ 13 एंडी फ्लड स्लूईस निर्माण कार्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड बोधगया के पंचायत इत्तारा में खाप के निकट 1952 में चेकडैम बना था जो क्षतिग्रस्त है । कुर्मवान नवां के अलावे परैया के मंग्रवाना पंचयात के किसान भी लाभान्वित थे जो क्षतिग्रस्त है ।

अतः निर्माण हेतु सदन को सूचना देती हूं ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, राज्य में शुभ अवसर पर ट्रॉली, डी0जे0 एवं बाजा बांध कर लाखें लोग रोजगार करते हैं सरकार के एक फैसले से पुलिस सभी को रोककर परेशान एवं जुर्माना करते हैं । मैं सरकार से ट्रॉली ध्वनि का मानक समय–सीमा तय कर उक्त कार्य को चालू रखने की मांग करता हूं ।

श्रीमती सोनम रानीः अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज के चैती रामनवमी मेला के सैरात की भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अनुमण्डलीय अस्पताल की भूमि को अतिक्रमण कर लिया है ।

अतः सरकार से सदन में सैरात एवं अस्पताल की भूमि को अतिक्रण मुक्त तथा चहारदीवारी निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, राजीव नगर अवस्थित 1024.52 एकड़ जमीन का मामला काफी लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है । मकान मालिकों एवं किसानों को नोटिस दिया जाता है कि आपके मकान को तोड़ दिया जायेगा एवं भू–धारकों की जमीन अधिगृहित की जायेगी, जिससे लोग भय में हैं । न्यायोचित समाधाना की मांग करता हूं ।

श्री महेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, अगिआंव विधान सभा अंतर्गत खोपीरा पंचायत में 10+2 स्तर की पढ़ाई संचालित है परंतु विद्यालय के पास न स्वीकृत भूमि है और न ही भवन संसाधनों के अभाव में विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है ।

अतः सरकार से शीघ्र भूमि आवंटन व भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री शम्भु नाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के चक्की प्रखंड मुख्यालय भवन के लिये 05 एकड़ रैयती जमीन राज्यपाल के नाम से वर्ष 2024 में रजिस्ट्री हुआ, आज तक नए प्रखंड भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया । सरकार चक्की प्रखंड के नए भवन का निर्माण करावे ।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के बंजरीया प्रखंड में पूर्व से स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण नहीं होने से आम गरीब जनता स्वास्थ्य के लाभ से वंचित हैं । बंजरिया प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्काल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम चन्द्र सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधान सभा क्षेत्र में बरई पंचायत के मध्य विद्यालय कौनियों में मात्र दो छोटे से कमरे में वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई, मध्याह्न भोजन एवं विद्यालय कार्यालय सभी संचालित होते हैं ।

अतः उक्त विद्यालय में भवन निर्माण करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–14 / धिरेन्द्र / 26.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच द्वारा याचिका संख्या–1692 / 1982 अंजुमन अहले हदीस, दरभंगा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में वर्ष 1985 में धारा–7(2)(ढ) एवं धारा–24 को Ultravirus घोषित किया गया है । इस न्यायादेश को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रूक जाइये । आप पहले प्रस्ताव कीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द ''नौ'' को शब्द ''तीन'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं इसलिए...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द ''नौ'' को शब्द ''तीन'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, इस सदन का सबसे बड़ा काम यही है कि हम यहां कानून बनाने बैठे हैं और मदरसा बैकग्राउंड से मैं आता हूँ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वीकृति के समय बोलियेगा ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''तीन'' को शब्द ''एक'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, इस संबंध में मैं क्यों संशोधन करना चाहता हूँ । मुझे अगर आप इजाजत दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मदरसा को मैं भलीभाँति जानता हूँ और मदरसा में अभी 09 या 11 आदमी की कमिटी होती थी, अब इसके जरिये से 17 आदमी की कमिटी हो जायेगी, एक जम्बू जेट होगा और गांव–गांव का झगड़ा । कमिटी जितनी बड़ी होती है, 'ज्यादा पंडित मठ उजाड़' वाला मामला हो जायेगा, इसलिए वहां उससे नुकसान होगा । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि अनुदायी सदस्य कौन होंगे ? पहले विधेयक आते थे तो उसके साथ नियम भी बने हुए आते थे, नियमावली बनी हुई आती थी । महोदय, यह तो ब्रिटिश टाईम का तरीका था कि भारतीयों को धोखा देने के लिए अफसरशाह बिल बना लेते थे, इसमें हाँ, ना कहला लेते थे लेकिन हम लोकतंत्र में जीते हैं, आजाद भारत में जीते हैं । कानून बनने में सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए और मदरसा में हम यह भी मशवरा देना चाहेंगे कि मदरसा में जो कमिटी अगर किसी टीचर को बर्खास्त करती है तो एक महीने में अपील करे, यहां तीन महीना है और बोर्ड में है कि बोर्ड उसका फैसला सुनायेगा, उसकी कोई अवधि तय नहीं है, उसकी भी अवधि तय होनी चाहिए । वरना बोर्ड में हजारों महीने लग जाते हैं । एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सुझाव आ गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मामला है । महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा । मदरसा से आता हूँ, यह माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला है । मदरसा की बर्बादी की बड़ी वजह यह हुई कि जो लोग अध्यक्ष बनें और जो लोग सचिव बनें, उन्होंने अपने बेटा–बेटियों को बहाल कर लिया, उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, मदरसे चौपट हो गए तो कम–से–कम इसमें यह प्रतिबंध लगाया जाय कि जो लोग कमिटी के अध्यक्ष और सचिव होंगे, बहुत सारे आंगनबाड़ियों में मुखिया जी की बीवी नहीं कर सकती है, मुखिया जी की बेटी नहीं कर सकती है । ठीक, इसी तरह इसमें....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में....

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो मिनट बोल लिये । आप एक नहीं, दो मिनट बोल लिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, सचिव जो हों । महोदय, मैं आपसे कहने की इजाजत चाहूंगा, आप कस्टोडियन हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुझाव दे दीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, उसमें कम–से–कम जो अध्यक्ष बनें और जो सचिव बनें, उनके बेटे–बेटियों की बहाली नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''तीन'' को शब्द ''एक'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच द्वारा याचिका संख्या....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव कर दीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच द्वारा याचिका संख्या–1692/1982 अंजुमन अहले हदीस, दरभंगा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में वर्ष 1985 में धारा–7(2)(ढ) एवं धारा–24 को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राहुल जी, आप मूव नहीं किये थे, उसको हम प्रोसीडिंग से हटावा देते हैं ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, ठीक है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, Ultravirus घोषित किया गया है । इस न्यायादेश को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया था । तदालोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा–7(2)(ढ) एवं धारा–24 में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित है । धारा–7(2)(ढ) में प्रस्तावित संशोधन से मदरसा के प्रबंध समिति के संरचना में परिवर्तन होगा । धारा–24 में प्रस्तावित संशोधन से मदरसा के प्रबंध समिति द्वारा किये गये कार्य के विरुद्ध बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में अपील दायर किया जा सकेगा एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के अनुसार बोर्ड द्वारा पारित आदेश संबंधित मदरसों पर बाध्यकारी होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, रिकॉर्ड में आ गया है । रिकॉर्ड में आपकी बात आ गयी और राहुल जी ने मूव नहीं किया था, उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जायेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, सरकार मदरसों की बात कर रही है, उसके लिए कई विधेयक ला रहे हैं लेकिन मैं जो देख रहा हूँ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह बात अब समाप्त हो गई ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लेकिन जिस तरह आप मदरसों के लिए बहुत सारे संशोधन ला रहे हैं

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको स्वीकृति पर बोलना था ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लेकिन देश में भाजपा शासित जितने राज्य हैं, उन मदरसों को ये कह रहे हैं कि वहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है.....

(व्यवधान)

टर्न–15 / पुलकित / 26.02.2026

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, लोक प्रशासन एक स्थापित सिद्धांत है और किसी भी सेवा में प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए । महोदय, जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कार्यक्षमता, दक्षता, संस्थागत प्रतिबद्धता भी इस विषय को सुदृढ़ करती है । लेकिन आपने यहाँ 15 प्रतिशत को, उसमें से 10 प्रतिशत घटा कर और 15 प्रतिशत मात्र छोड़ा है । इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए था । महोदय, मैं चाहूँगा कि इसको आप जनमत के लिए भेजें ताकि लोगों का विचार इसमें आए । महोदय, एक मिनट में बस अपनी

बात खत्म करूँगा । हमारी जब सरकार थी तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का निर्णय लिया था ।

(व्यवधान)

लेकिन आज मैं महोदय अनुरोध करूँगा कि वह 25 प्रतिशत रहने दिया जाए और बाकी जो 75 परसेंट की बहाली है, उसमें से 10 प्रतिशत किया जाए और इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31.05.2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन 9(1)(i) की प्रथम पंक्ति के अंक ''85'' के स्थान पर अंक ''90'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कह लेने दिया जाए । सर, बेरोजगारी का जमाना है । आप 15 फीसद रख देते हैं उधर प्रमोशन के लिए, जो पदोन्नति के लिए है । कम–से–कम, बेरोजगार लोग ज्यादा हैं और फिर खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी इसी से देना है । आप 85 की जगह पर उसको 90 कर दिया जाए । सर, यह मेरा मुतालिबा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन 9(1)(i) की प्रथम पंक्ति के अंक ''85'' के स्थान पर अंक ''90'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन 9(1)(ii) की प्रथम पंक्ति के अंक ''15'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, आप पदोन्नति करना चाह रहे हैं । ये लोग ऑलरेडी जॉब में हैं । सर, जॉब वाले को आप पदोन्नति कराएंगे तो उसमें 10 परसेंट को कराइए ताकि 5 परसेंट बेरोजगारों को और आने का मौका मिले । मेरा बहुत सीधा सा मामला है और बेरोजगारों के मसले का हल भी है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन 9(1)(ii) की प्रथम पंक्ति के अंक ''15'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 एवं 4 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

(व्यवधान)

महोदय, सरकार तो आप सभी के मशविरे का ख्याल रखना ही चाहती है । लेकिन उस परिस्थिति में क्या किया जाए कि जो राहुल जी ने कहा वह इस तरफ जा रहा है और आपने जो कहा उस तरफ जा रहा है । अब सवाल है दोनों आदमी की बात रखने के लिए तो हमको बीच में ही रहना पड़ेगा । जो संशोधन का मकसद है क्योंकि सीधी नियुक्तियों का प्रतिशत हम लोगों ने बढ़ाया है । राहुल जी तो एक बात कहे हमको समझ में नहीं आई, ये जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसी में राज्य के अंदर के जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, वह भी इसी में शामिल किया गया है। सीधी नियुक्ति में उनकी नियुक्ति का प्रावधान स्पष्ट रूप से सचिवालय सेवा का जो हमारा नियम है उसमें डाला गया है ।

दूसरी तरफ, जो आपने कहा है कि हम लोग तो इसमें प्रतिशत, आपका तो दोनों एक ही तरह का था, उधर घटा के इधर बढ़ाना दोनों को आपने अलग–अलग कहा है । लेकिन जो राहुल जी कह रहे थे, यह सही बात है कि जिस सेवा से इस पर प्रोन्नति दी जाती है, वह डाइंग कैडर है । जितने प्रतिशत की आरक्षित सीट है उस पर भी लोग नहीं मिल पाते हैं । उसमें भी कुछ रिक्तियां रह जाती हैं । इसलिए हम लोगों ने बीच में किया है और इस संशोधन विधेयक की जो असली बात है, कि इन लोगों का प्रोबेशन पीरियड जो दो वर्ष का हुआ करता था, मतलब उनकी सेवा की संपुष्टि दो वर्ष बाद होती थी, अब वह साल भर ही कर दी गयी है । जिससे किसी श्रेणी के मतलब कर्मचारी हों सचिवालय सेवा में, उनके प्रोबेशन का पीरियड घटा कर उनकी सेवा शीघ्र मतलब साल भर के बाद अगर उनका आचरण से लेकर सब कुछ संतोषजनक रहा तो उनकी सेवा संपुष्ट कर दी जाएगी । यह तो आप ही लोग के मन की बात है और आपने जो कहा है इसमें समावेशित है । महोदय, इसलिए हम सारे सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मूव करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट विधेयक है और बहुत दिनों बाद आया है । हर क्षेत्र के लोग इससे कष्ट में हैं और खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको ऋण उपलब्ध करा देती हैं और उनको मानसिक, सामाजिक हर तरह की पीड़ा झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बिल में मतलब जो यह विधेयक आ रहा है, जिसके कारण हमने कहा कि जनमत जानने हेतु, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि आपने जो दंड का प्रावधान किया है, तो दंड के प्रावधान में उधार दाता एवं उनके एजेंटों, तो उसके कर्मी फिर उसमें सम्मिलित हो जाएंगे । महोदय, इस तरह से छोटे–छोटे बिंदु हैं इसमें जिसको विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है । इसके लिए हम लोगों ने चाहा है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित

किया जाए ताकि एक बढ़िया विधेयक बनकर आए क्योंकि सारे लोगों की यह डिमांड है ।

टर्न–16 / हेमन्त / 26.02.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 दिनांक 31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 से 33 तक में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 33 तक इस विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 से 33 तक इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य का प्रयास स्वयं सहायता समूहों के हितों की रक्षा करना तथा धन उधार देने वाली सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन लेन–देन को विनियमित करके उन्हें अनुचित कठिनाई से राहत प्रदान करना है। आपका जो कटौती का प्रस्ताव था, उसका मैं मुख्य उद्देश्य बता रहा हूं कि गड़बड़ी जो होती है, जो तबाही की गयी, उसको रोकने का यह प्रयास है। जो स्वयं सहायता समूहों को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रही हैं तथा वसूली के लिए प्रपीड़क तरीके अपना रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे दरिद्र हो रहे हैं तथा कभी–कभी उधारकर्ता आत्महत्या तक कर रहे हैं।

बिहार में कार्यरत सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और छोटे ऋण प्रदाताओं को विनियमित करना, प्रपीड़क और अनैतिक वसूली प्रथाओं पर रोक लगाना, उचित ब्याज दरों के साथ पारदर्शी उधार संचालन सुनिश्चित करना, व्यापक सुरक्षा उपायों के माध्यम से कमजोर उधारकर्ताओं को शोषण से बचाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले संतुलित विनियामक ढांचे को बनाए रखते हुए विवाद समाधान और उधारकर्ता राहत के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

अतः मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026'' स्वीकृत हुआ।

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक,2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 दिनांक 31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, ये हम लोग देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों से यह समस्या हम लोगों के सामने खड़ी है और जब विधेयक का, जनमत जानने हेतु भेजने के लिए मैंने जो कहा है, तो हम लोग देखते हैं कि चयन समिति का जो स्वरूप होगा, संख्या क्या होगी, योग्यता क्या होगी और प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। महोदय, जब उसके बाद में हम देखते है कि अध्यक्ष, सदस्यों इन सब की आयु को लेकर 75 वर्ष तक, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप यह विधेयक लेकर आना चाहते हैं, तो वह सदन को बता दीजिए कि किसके उम्र 65 से 75 वर्ष आप करना चाहते हैं। महोदय, उसके बाद इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें रिजनेबल ऑपोरचुनिटी ऑफ हियरिंग, आप हियरिंग की ऑपोरचुनिटी तो देना चाहते हैं, लेकिन उसको इतना वेग रखा है कि उसी में करप्शन का पॉइंट बनेगा, महोदय। इसके अलावा, एक लास्ट जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों को लेकर है, महोदय, तो जो अध्ययनरत छात्र हैं, मान लीजिए किसी की संस्था को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो अध्ययनरत छात्र हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? उनके माइग्रेशन का क्या होगा? जो फीस उन्होंने जमा कर दिया, उसका क्या होगा? आगे जिस संस्थान में माइग्रेट करेंगे, वहां के फीस का क्या हो, इन सब चीजों पर महोदय, एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी और....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 दिनांक 31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–4 के उपखंड (3) की दूसरी पंक्ति के अंक ''75'' के स्थान पर अंक ''70'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, चूंकि रिटायर्ड ऑफिसर्स को बनाएंगे अध्यक्ष और सदस्य तो 60–62 में लोग रिटायर करेंगे, 65 में डॉक्टर करेंगे, तो 5 साल इनफ है। 75 साल की उम्र में वैसे भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और एक बड़े काम के लिए चुन रहे है सर, बिहार में प्राइवेट....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–4 के उपखंड (3) की दूसरी पंक्ति के अंक ''75'' के स्थान पर अंक ''70'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना।

(व्यवधान)

आपकी बात आ गयी है। खंड–3 से 15 तक में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 से 15 तक इस विधेयक के अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–3 से 15 तक इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया विनियमित करने, शिक्षण शुल्क निर्धारण करने के लिए अधिनियम कानून बनाया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2016 में नामांकन पर्यवेक्षण समिति एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि स्थायी व्यवस्था लागू रहेगी, जब तक इस विषय पर नया कानून नहीं बना लें। इसी आलोक में यह विधेयक लाया गया है।

(क्रमशः)

टर्न–17 / संगीता / 26.02.2026

...क्रमश...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी व्यावसायिक विषय जो राज्य सरकार अधिसूचित करेगी, समिति में प्रख्यात शिक्षाविद् या कम से कम सरकारी सेवक, जो प्रधान सचिव के स्तर से सेवा दे चुके हैं और इस समिति में कुल 9 सदस्य रहेंगे, उसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, शिक्षा सचिव हैं, विज्ञान प्रावैद्यिकी के, ये तीनों पदेन सदस्य होंगे और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव पदेन सचिव होंगे और 4 बाह्य व्यक्ति इसमें होंगे और एक चार्टर एकाउंटेंट भी इस समिति के सदस्य होंगे, कुल 9 सदस्य होंगे । अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि स्वीकृति प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026'' पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, हम सभी जानते हैं कि पत्रकारों के बाद सबसे ज्यादा शोषण किसी का है तो वह अधिवक्ताओं का है लेकिन साथ–साथ में यह भी सरकार की जिम्मेवारी है कि सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय होना चाहिए । महोदय, अगर आपको उनके वेलनेस की चिन्ता है तो उनलोगों का कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था कीजिए, पेंशन की व्यवस्था कीजिए लेकिन वेलफेयर स्टांप में शुल्क बढ़ाकर, जो पहले से ही अधिभारित है, तो इसके बाद आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वह हो नहीं पाएगा । इसलिए मैं इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव देता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31.05.2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026'' स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, ये 2019 में स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी और जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके कल्याण पर यह खर्चा होता है तो लगभग 7 साल हो गए थे तो सरकार ने इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया है । महंगाई भी बढ़ी है और अधिवक्तागण की संख्या भी बहुत बढ़ी है । स्टांप 25/– रुपया से बढ़ाकर 50/– रुपया करने का प्रस्ताव है । स्टाम्प से प्राप्त आय का उपयोग जो किया जाता है, अधिवक्ता की मृत्यु होने पर किया जाता है, सेवानिवृत्ति होने पर किया जाता है और उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में भी यह दिया जाता है लेकिन यह अधिकार बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को दिया गया है और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं महाधिवक्ता होते हैं और इनके सदस्य बार काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं और विधि सचिव एवं अन्य समिति के सदस्य

भी होते हैं इसीलिए यह बढ़ोतरी की गई है और मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा की जाए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026'' स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026'' पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि कम्पोडियम ऑफ विधेयक आया है । एक विधेयक है नहीं, इसको समझने में हमलोगों को 3 दिन लगा । ये अलग–अलग विधेयक जो है इसमें अलग–अलग कानून से

निकालकर कम्पोडियम बनाया गया है । एक तो समय कम था तो इसलिए हमलोगों ने कहा कि जनमत जानने के लिए लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विषय, जितना हमलोग समझ पा रहे थे या जितना मैं पढ़ पाया, उसमें है कि अदानी अगर पीरपैंती में आम का पेड़ खत्म, बगान खत्म कर दिया तो उसको लगेगा जुर्माना 2 हजार लेकिन वही एक बढ़ई मिस्त्री अगर काष्ठ का काम कर रहा है तो उसको जुर्माना लगाइएगा 1 लाख, यही महोदय इस विधेयक में है जो हम समझ पाए हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि विधेयक जनमत के लिए जाए और इसको विस्तृत रूप से पता लगाया जाए कि क्या–क्या है इसमें ताकि इसका जो उद्देश्य है सरकार का, वह पूर्ण हो सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 मई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, ''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 सदन को जानने की आवश्यकता है । सात निश्चय पार्ट–3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की परिकल्पना के आलोक में राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने, कालबद्ध दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करने, लघु एवं तकनीकी प्रकृति के अपराधों के अपराधीकरण को समाप्त करने...

...क्रमशः...

टर्न–18 / यानपति / 26.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, तथा विश्वास आधारित अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से बिहार जन विश्वास विधेयक के निर्माण इससे संबंधित विधाई कार्रवाई की स्वीकृति प्राप्त किया जाना है महोदय । राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश संवर्द्धन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य सरकार सतत रूप से व्यवसाई वातावरण को सरल, पारदर्शी एवं विश्वास आधारित बनाने के लिए संकल्पित है । वर्तमान में राज्य के विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में अनेक ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं जिसमें तकनीकी अथवा प्रक्रियागत त्रुटियों के लिए दंडात्मक कारावास संबंधी प्रावधान निहित है जिसमें व्यवसायों, उद्यमियों एवं नागरिकों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ पड़ता है महोदय । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में विश्वास, जन विश्वास संशोधन विधेयक लाये जाने का प्रस्ताव जिसके माध्यम से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अधिनियमों में निहित लघु तकनीक प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने उन्हें नागरिक दायित्व, प्रशासनिक दंड अथवा आर्थिक दंड में परिवर्तित किया जायेगा महोदय । प्रस्तावित बिहार जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य राज्य में विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक निरीक्षण एवं विवेकाधीन शक्तियों को कम करना, अनुपालन लागत को घटाना तथा सूक्ष्म उद्यमों एवं निवेशकों के लिए एक अनुकूल क्रियान्वयन नियामक वातावरण उपलब्ध कराना है महोदय । इससे न केवल निवेश एवं

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रशासनिक दक्षता एवं सेवा विस्तार वितरण में भी सुधार मिलेगा । महोदय, इस प्रकार जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित चिन्हित आर्ट अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रावधान है ताकि कारावास अथवा आपराधिक दंड के स्थान पर उपयुक्त नागरिक दंड एवं आर्थिक दंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके । आज उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठानों पर, यही बिहार था महोदय, जहां उद्योग में हम आगे थे । आजादी के समय औद्योगीकरण में बिहार बहुत तेजी से बढ़ रहा था । महोदय, प्रतिष्ठानों पर ताला लगानेवाले जो आज विपक्ष में बैठे हैं, औद्योगिक विकास की बहुत चिंता इनको होने लगी है महोदय । महोदय, इनको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार और बिहारी गाली और गोली के कुचक्र में अब नहीं पड़ेगा । आज आदरणीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के डबल नेतृत्व में संघे शक्ति कलयुगे मंत्र के साथ आगे बढ़ने को तैयार है महोदय । अब मजदूर को मजबूर नहीं बना सकते ये लोग महोदय, मजदूर को मजबूर बनाते थे, आज हम श्रमिक कहते हैं । ये श्रमिक हैं, ये सृजनकर्ता विश्वकर्मा की संतान हैं महोदय और आज डबल इंजन की सरकार का जो श्रमिक वर्ग है वह क्या कह रहा है महोदय, कि देश के हित में काम करेंगे, काम करेंगे तो काम का लेंगे पूरा दाम, यह भाव होना चाहिए महोदय । ये क्या करते थे, हड़ताल करो, ताला लगा दो, बंद कर दो । ये महोदय, वो अराजकता के मानसिकता के लोग थे जो इनके 1990 के दशक से जो शुरूआत हुई महोदय, कई उद्योग बंद हो गए बिहार के अंदर । वातावरण, ऐसे लोग एक माहौल क्रिएट किए कि उद्योगपति अपने को अपराधी महसूस करने लगे । पलायन के लिए विवश हो गया महोदय । समाज के अंदर, आज हड़ताल की मानसिकता महोदय, कभी न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का कल्याण कर सकता है महोदय । जो हड़ताल की मानसिकता में पोषित हैं, जो वर्क को रोक करके विकास की गति को रोकते हैं, ऐसे लोग नकारात्मक मानसिकता के लोग होते हैं । महोदय, आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिये बिहार के विश्वास के विकास के रास्ते को गति देने की जरूरत है । सरकार का जोर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है । सबसे युवा आबादी वाला राज्य होने के कारण बिहार को इस अप्रोच का व्यापक लाभ मिलेगा महोदय, क्योंकि बिहार अब सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेगा और विकसित बिहार बनाना है, तो इसकी जरूरत है महोदय । टीयर–2 और टीयर–3 शहरों, छोटे, मंझोले स्तर के शहर को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने पर बल दिया जा रहा है । बिहार में शहरीकरण और औद्योगीकरण विकास की व्यापक संभावना है । साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सात निश्चय–3 में भी नगरीकरण और उद्योग के विकास

की अहम कड़ी के रूप में देख रहे हैं । इसीलिए सिटी इकोनॉमी का जो सूत्र देश के आदरणीय प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं, बिहार को इसका बड़ा लाभ मिलेगा । निश्चित रूप से इससे उम्मीद और उद्यमिता को नई गति मिलेगी, निश्चित रूप से बिहार के उद्यमी और युवा काफी लाभान्वित होंगे । श्रम प्रधान उद्योग विशेष तौर पर फाईबर, टेक्सटाईल, हैंडलूम, बुनकर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना भी बिहार के विकास के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे । जो लोग नकारात्मक मानसिकता से ताला बंदी और हड़ताल की मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, उनको अफसोस होगा, पश्चाताप होगा क्योंकि ये औद्योगीकरण के विकसित बिहार के एक्सप्रेस के ट्रेन से छूट जायेंगे, पश्चाताप के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचेगा । महोदय, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम बधाई देने के लिए खड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दे दीजिये, बधाई दे दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, इतना अच्छा इनकी सरकार चल रही है, उद्योग लाने की बात हो रही है । हम इसलिए बधाई दे रहे हैं कि इनके पास 20 वर्षों में इतनी टेक्नोलॉजी आयी है कि इंदिरा आवास में एक दिन में पाइलिंग और एक दिन में छत की ढलाई....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 फरवरी...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–67 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–27 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।